



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

"चयन भवन" चिनार पार्क (ईस्ट), मेन रोड न. 1, भोपाल 462011

Phone : +91-755-2578801-02, Fax: +91-755-2550498, website: www.peb.mp.gov.in, E-ComplainId : Complain.peb@mp.gov.in

समूह-5 के अन्तर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग-सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2022

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियमपुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 14/10/2022	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 28/10/2022
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 14/10/2022	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 02/11/2022
परीक्षा दिनांक व दिन	25 नवम्बर 2022, शुक्रवार से प्रारंभ
परीक्षा शुल्क	
सीधी भर्ती /संविदा पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये रु. 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवलम.प्र. के मूल निवासियों के लिये) रु. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
	सीधी भर्ती - बैकलॉग कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम पी आनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित करने का समय
25 नवम्बर 2022, शुक्रवार से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से 2:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI)के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। **बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए।**
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथामोबाइल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
- उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक पी.ई.बी. को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। पी.ई.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
- विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिमजनजाति, (बैगा,सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

“चयन भवन” चिनार पार्क (ईस्ट), मेन रोड न. 1, भोपाल 462011

समूह-5 के अन्तर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग-सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2022

आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्र.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	समूह-5 के अन्तर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2022	03-13
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	14-26
3.	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	27- 38
4.	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	39 - 52
5.	प्रारूप-1	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	53
6.	प्रारूप-2	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	54
7.	प्रारूप-3	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे :- बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	55

अध्याय-01

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ङ.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पञ्जीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (ञ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;
- (ट) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (त) "बोर्ड अथवा मण्डल" से अभिप्रेत है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल ;

3. लागू होना :- (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।

- (2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- (3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. **विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना** - वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भरती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भरती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भरती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।

5. **अर्हकारी अंक** - (1) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-3-8/2016/1/3, भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, किन्तु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई सूची में से 'मेरिट' के आधार पर किया जावेगा।

(2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

- (क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए बोर्ड से कोई मांग नहीं करता है ;
- (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
- (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और
- (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. विस्तार -

(1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

(2) बोर्ड, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. **सेवा समूह - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. 468, भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर 2013, संशोधन परिपत्र क्र. 74, भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015, क्र. 416, दिनांक 10 अक्टूबर 2016 एवं क्र. 06, दिनांक 10 फरवरी 2017 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है। विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् -**

तालिका

स.क्र.	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह-5	समूह-5 के अन्तर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों की सीधी भरती व बैकलॉग-सीधी भरती हेतु संयुक्त भरती परीक्षा- 2022	तृतीय श्रेणी

8. **परीक्षा का आयोजन** - ऊपर कण्डिका 7 में उल्लिखित सेवा समूह-5 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/पद के लिए आयोजित की जाएगी। संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् - **तालिका**

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

स.क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण	अंक
1.	समूह-5	01	100	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान अभिरूचिसामान्य ,	25
				(ब) तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	75

09. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

9.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता

विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

समूह-5

(क) अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) के साथ ही साथ संबंधित पत्रोपाधि (डिप्लोमा) उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता (विभागो द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें) ।

9.2 अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा बोर्ड द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि बोर्ड का।

9.3 आयु सीमा - उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, [विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी](#) निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के **चालू वर्ष की 1 जनवरी** की स्थिति में की जाएगी :

नोट- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-46-2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 18 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षाएँ नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है, अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान किया गया है।

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 48 वर्ष (संविदाकर्मों को छोड़ कर) से अधिक नहीं होगी।

9.4 (1) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) **अभ्यर्थी** की आयु की गणना **01 जनवरी 2022** से निर्धारित की जावेगी ।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एवं पत्र क्र./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	18 से 40
	अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग/ए शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ निःशक्तजन/ महिलाओ (अनाराक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन से मान्य/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

9.4 (2) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-46-2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 18 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती हेतु कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षाएँ नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है, अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान किया गया है.

9.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

- (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 48 वर्ष (संविदाकर्मी को छोड़ कर) से अधिक नहीं होगी।

9.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द “छटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी

सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- टीप :** (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“आयु-सीमा के संबंध में विशेषा उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वहर इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिह्नित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।”

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम-03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

- (क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषायवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/ अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल कर सकेगा।

10 . अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -

- (1) बोर्ड एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाईन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में बोर्ड के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;
- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा बोर्ड अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का उत्तरदायी नहीं होगा।(बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों हेतु)
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/ कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिह्नित कर सकेगा।

11. पी.ई.बी. (मण्डल) द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

- (1) बोर्ड, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/इ.डब्ल्यू.एस./महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (6) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

12. नियुक्ति के लिए पी.ई.बी. (मण्डल) की अनुशंसाएँ -

- (1) पी.ई.बी. (मण्डल) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएँ पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।

13. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -

- (1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रय सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।
- (2) पी.ई.बी.(मण्डल), अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा, परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि बोर्ड ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।
- (3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा पी.ई.बी. की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत व्यापक के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

14 . शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता -

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए

प्राथमिता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितम्बर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces Personnel –Exservicemen –other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" एवं "डी" प्रमाण-पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।
3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।
4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -
 - 4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।
 - 4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।
 - 4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तंक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र।
- (4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्ल्यू.एस. का प्रमाण पत्र।

16. आरक्षण -

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत,	अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत,	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। सम्पूर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की Website- <http://gad.mp.gov.in> को देखें।

- (2) क्षैतिज आरक्षण -

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

किन्हीं सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा ।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बह्विकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत श्रैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

(3) संविदा कर्मियों हेतु नियम:-

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य/जिलास्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते हैं, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

- 3.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी ।
- 3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
- 3.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो । 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए । इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।
- 3.4 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो बाँछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो ।
- 3.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए । अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदापर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था ।
- 3.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी ।
- 3.7 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं ।

- 3.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 3.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटाऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
- 3.10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 3.11 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा।
- 3.12 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्तीमें प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।
- (4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- (5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। बोर्ड द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्ता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं।
- (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।
- (घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परीणाम जारी किया जावेगा।

17. आवेदन शुल्क -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. यात्रा भत्ता -

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

- (2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषतः आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी संबंधित अभ्यर्थी संलग्न **प्रारूप-2** में अपना बैंक खाता विवरण आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं।

19. परीक्षा केन्द्र - परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण पी.ई.बी. के माप दण्डों अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा।

20. निरर्हता -

- (1) **पी.ई.बी. (मण्डल)** अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। **पी.ई.बी. (मण्डल)** ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22. आवेदनों का रद्द किया जाना -

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा -

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहाँ अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेषा घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

- (क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों; या
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

25. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार
- (क) भारत का नागरिक हो ।
- (ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है ।
- (ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है ।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

- (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

26. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु वांछित अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख न किया जाना । अर्थात् मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 के नियम-4 में विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है।

अतएव व्यापम के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए । इसके अतिरिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये ।

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 25/07/2017 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति की प्रतिपूर्ति की राशि भुगतान तकनीकी शिक्षा विभाग अपने बजट में नवीन मद सृजित कर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को फीस की प्रतिपूर्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान का प्रस्ताव विभागीय बजट में समाविष्ट करेंगे ।

28. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे ।

29. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टापेंड के रूप में देय होगी. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा ।

आध्याय - 2

समूह-5 के अन्तर्गत सहा. पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2022

सीधी भर्ती एवं बैकलॉग सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण

भर्ती का प्रकार	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या					कुल
	अना.	EWS	अजा.	अजजा	अपिव	
सीधी भर्ती	423	103	195	198	305	1224
बैकलॉग सीधी भर्ती	0	0	6	3	15	24
योग :-	423	103	201	201	320	1248

पदों का एकजाई विवरण

स. क्र.	पदनाम	पद कोड	सीधी भर्ती	बैकलॉग सीधी भर्ती	संविदा कर्मचारी हेतु सीधी भर्ती	संविदा कर्मचारी हेतु बैकलॉग सीधी भर्ती	योग
1.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	01,02	155	0	39	0	194
2.	पुरुष स्टाफ नर्स	03,04	356	0	89	0	445
3.	मेल नर्स	05,06,07,08	14	20	01	01	36
4.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	09,10	03	03	0	0	06
5.	टेक्नीशियन	11,12	23	0	06	0	29
6.	आयुर्वेद कम्पाउण्डर	13	174	0	0	0	174
7.	होम्योपैथी कम्पाउण्डर	14	03	0	0	0	03
8.	यूनानी कम्पाउण्डर	15	37	0	0	0	37
9.	स्टाफ नर्स	16,17	123	0	0	0	123
10.	फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)	18	28	0	0	0	28
11.	फार्मासिस्ट (यूनानी)	19	02	0	0	0	02
12.	पैथोलॉजी टेक्नीशियन	20	01	0	0	0	01
13.	लैब टेक्नीशियन	21	32	0	0	0	32
14.	ओ.टी. टेक्नीशियन	22	06	0	0	0	06
15.	ऑडियो मेस्ट्रस्ट	23	04	0	0	0	04
16.	धारसूत्र टेक्नीशियन	24	07	0	0	0	07
17.	एक्सरे टेक्नीशियन	25	04	0	0	0	04
18.	भैषज्य कल्पक	26	01	0	0	0	01
19.	रेडियोग्राफर	27	01	0	0	0	01
20.	रिफ्रेशनिस्ट	28	03	0	0	0	03
21.	पंचकर्म टेक्नीशियन	29	11	0	0	0	11
22.	असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन	30	01	0	0	0	01
23.	पंचकर्म सहायक (म/पु)	31	43	0	0	0	43
24.	लेबोरेटरी सहा./लैब असि.	32	35	0	0	0	35
25.	ड्रेसर	33	13	0	0	0	13
26.	कंपाउंडर (आयुर्वेद)	34	02	0	0	0	02
27.	कंपाउंडर (यूनानी)	35	03	0	0	0	03
28.	डार्करूम अटेंडेंट	36	04	0	0	0	04
	योग :-		1089	23	135	01	1248

विभागवार पदों का विवरण

प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं	पद कोड	पद	भर्ती का प्रकार	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या					कार्यपालिक/अकार्यपालिक	
				अना	EWS	अजा	अजजा	अपिव		कुल
1. संचालनालय पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल.	01	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	सीधी भर्ती	43	15	24	31	42	155	अकार्यपालिक
	02	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (20% संविदा कर्मियों के लिए)	सीधी भर्ती	12	03	06	08	10	39	अकार्यपालिक
2. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल.	03	पुरुष स्टॉफ नर्स	सीधी भर्ती	96	36	57	71	96	356	अकार्यपालिक
	04	पुरुष स्टॉफ नर्स (20% संविदा कर्मियों के लिए)	सीधी भर्ती	24	09	14	18	24	89	अकार्यपालिक
3. जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल	05	मेल नर्स	सीधी भर्ती	09	05	0	0	0	14	अकार्यपालिक
	06	मेल नर्स (20% संविदा कर्मियों के लिए)	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	07	मेल नर्स	बैकलॉग	0	0	06	03	11	20	अकार्यपालिक
	08	मेल नर्स (20% संविदा कर्मियों के लिए)	बैकलॉग	0	0	0	0	01	01	अकार्यपालिक
	09	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	सीधी भर्ती	0	03	0	0	0	03	अकार्यपालिक
	10	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	बैकलॉग	0	0	0	0	03	03	अकार्यपालिक
4. कार्यालय अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा म.प्र.	11	टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	07	02	04	04	06	23	अकार्यपालिक
	12	टेक्नीशियन (20% संविदा कर्मियों के लिए)	सीधी भर्ती	03	0	01	01	01	06	अकार्यपालिक
5. संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल (आयुष औषधालय एवं चिकित्सालयों हेतु)	13	आयुर्वेद कम्पाउण्डर	सीधी भर्ती	48	17	32	30	47	174	अकार्यपालिक
	14	होम्योपैथी कम्पाउण्डर	सीधी भर्ती	01	0	0	01	01	03	अकार्यपालिक
	15	यूनानी कम्पाउण्डर	सीधी भर्ती	11	03	06	07	10	37	अकार्यपालिक
	16	स्टाफ नर्स	सीधी भर्ती	10	03	06	07	09	35	अकार्यपालिक
6. संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल (शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों हेतु) (प्रत्येक महाविद्यालय का पृथक-पृथक आरक्षण रोस्टर है एवं नियमपुस्तिका में रिक्त पदों को एकजाई कर सम्मिलित किया है. पदों की संख्या परिवर्तनीय है)	17	स्टाफ नर्स/नर्स	सीधी भर्ती	38	04	16	10	20	88	अकार्यपालिक
	18	फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)	सीधी भर्ती	17	0	04	02	05	28	अकार्यपालिक
	19	फार्मासिस्ट (यूनानी)	सीधी भर्ती	02	0	0	0	0	02	अकार्यपालिक
	20	पैथोलॉजी टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	21	लैब टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	15	01	05	02	09	32	अकार्यपालिक
	22	ओ.टी. टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	04	0	01	0	01	06	अकार्यपालिक
	23	ऑडियो मेस्ट्रिस्ट	सीधी भर्ती	04	0	0	0	0	04	अकार्यपालिक
	24	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	07	0	0	0	0	07	अकार्यपालिक
	25	एक्सरे टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	04	0	0	0	0	04	अकार्यपालिक
	26	भेषज्य कल्पक	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	27	रेडियोग्राफर	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	28	रिफ्रेशनिस्ट	सीधी भर्ती	03	0	0	0	0	03	अकार्यपालिक
	29	पंचकर्म टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	07	0	01	01	02	11	अकार्यपालिक
	30	असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	0	0	01	0	0	01	अकार्यपालिक
	31	पंचकर्म सहायक (म/पु)	सीधी भर्ती	25	0	07	02	09	43	अकार्यपालिक
	32	लेबोरेटरी सहा./लैब असि.	सीधी भर्ती	16	02	07	02	08	35	अकार्यपालिक
33	ड्रेसर	सीधी भर्ती	06	0	02	01	04	13	अकार्यपालिक	
34	कंपाउंडर (आयुर्वेद)	सीधी भर्ती	01	0	0	0	01	02	अकार्यपालिक	
35	कंपाउंडर (यूनानी)	सीधी भर्ती	02	0	01	0	0	03	अकार्यपालिक	
36	डार्करूम अटेंडेंट	सीधी भर्ती	04	0	0	0	0	04	अकार्यपालिक	
योग :-				423	103	201	201	320	1248	

विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएँ

1. संचालनालय पशुपालन, मध्यप्रदेश, भोपाल :-

संचालनालय पशुपालन, कामधेनु भवन, लिंक रोड क्र. 3, वैशाली नगर, भोपाल (म.प्र.) 462003 के पत्र क्र. 10620/स्था.ब./ए.व्ही.एफ.ओ./2021, दिनांक 29/11/2021 एवं पत्र क्र. 2366/स्था.ब./अनु.नियु./2022, दिनांक 28/02/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड-01 सीधी भर्ती - सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी - कुल 155 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	26	13	03	01	43	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	09	05	01	-	15	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	15	08	01	-	24	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	19	10	02	-	31	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	25	13	03	01	42	
	योग	94	49	10	02	155	

वेतनमान – 25,300-80,500

शैक्षणिक योग्यता - (1) हायर सेकेंडरी 10+2 प्रणाली से 12वीं परीक्षा विज्ञान गणित/कृषि से उत्तीर्ण, (2) अनिवार्य न्यूनतम योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण, (3) भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटेरिनरी कोर्प में ट्रेसर ग्रेड-1 एवं 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर.

पद कोड-02 सीधी भर्ती - सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी - कुल 39 पद (20% संविदा कर्मियों के लिए) (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	08	04	-	-	12	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	02	01	-	-	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	-	-	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	03	-	-	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	03	-	-	10	
	योग	26	13	-	-	39	

वेतनमान – 25,300-80,500

शैक्षणिक योग्यता - (1) हायर सेकेंडरी 10+2 प्रणाली से 12वीं परीक्षा विज्ञान गणित/कृषि से उत्तीर्ण, (2) अनिवार्य न्यूनतम योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण, (3) भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटेरिनरी कोर्प में ट्रेसर ग्रेड-1 एवं 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर.

नोट -सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद हेतु दिव्यांगजन के लिए आरक्षण लागू नहीं है.

2. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल :-

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल-462004 के पत्र क्रमांक 09/नर्सिंग/सेल-1एस/2021/एफ/665, भोपाल, दिनांक 23/07/2021 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड-03 सीधी भर्ती - पुरुष स्टॉफ नर्स - कुल 356 पद (केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए) (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग दिव्यांगों की कुल 21 रिक्तियों में से 00 VH, 00 EH, 21 LD (लोकोमोटर डिसेबिलिटी-सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड-अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी) एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	86	-	10	-	96	
2.	ई. डब्लू. एस.	32	-	04	-	36	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	51	-	06	-	57	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	64	-	07	-	71	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	86	-	10	-	96	
	योग	319	-	37	-	356	

वेतनमान - 5200-20,200+2800/- ग्रेड पे (सातवा वेतनमान 28700/- लेवल- 7)

शैक्षणिक योग्यता - (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवी परीक्षा (10+2) फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ. (2) मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में बी.एस.सी. नर्सिंग न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ. (3) रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सिंग काउंसलिंग का जीवित पंजीयन.

पद कोड-04 सीधी भर्ती - पुरुष स्टॉफ नर्स - कुल 89 पद (केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए) (20% संविदा कर्मियों के लिये) (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग दिव्यांगों की कुल 05 रिक्तियों में से 00 VH, 00 EH, 05 LD (लोकोमोटर डिसेबिलिटी-सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड-अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी) एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	21	-	03	-	24	
2.	ई. डब्लू. एस.	08	-	01	-	09	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	13	-	01	-	14	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	16	-	02	-	18	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	22	-	02	-	24	
	योग	80	-	09	-	89	

वेतनमान - 5200-20,200+2800/- ग्रेड पे (सातवा वेतनमान 28700/- लेवल- 7)

शैक्षणिक योग्यता - (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवी परीक्षा (10+2) फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ. (2) मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में बी.एस.सी. नर्सिंग न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ. (3) रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सिंग काउंसलिंग का जीवित पंजीयन.

3. जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल :-

महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्र. 4075/सामान्य-स्थापना/2022, भोपाल, दिनांक 15/02/2022 एवं पत्र क्र. 6772/सामान्य-स्थापना/2022, दिनांक 09/03/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड-05 सीधी भर्ती - मेल नर्स - कुल 14 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	03	01	-	09	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	04	01	-	-	05	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	09	04	01	-	14	

वेतनमान - 28,700-91,300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता - (1) 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (2) पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरुषों, महिलाओं और बालकों में तीन वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद् (भाग-अ) में रजिस्ट्रीकृत, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता.

पद कोड-06 सीधी भर्ती - मेल नर्स - कुल 01 पद (20% संविदा कर्मियों के लिए) (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	01	

वेतनमान - 28,700-91,300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता - (1) 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (2) पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरुषों, महिलाओं और बालकों में तीन वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद् (भाग-अ) में रजिस्ट्रीकृत, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता.

पद कोड-07 बैकलॉग सीधी भर्ती - मेल नर्स - कुल 20 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	निरंक
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	01	-	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	-	-	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	04	01	-	11	
	योग	11	07	02	-	20	

वेतनमान - 28,700-91,300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता - (1) 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (2) पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरुषों, महिलाओं और बालकों में तीन वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद् (भाग-अ) में रजिस्ट्रीकृत, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता.

पद कोड-08

बैकलॉग सीधी भर्ती - मेल नर्स - कुल 01 पद (20% संविदा कर्मियों के लिए) (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	
	योग	01	-	-	-	01	

वेतनमान – 28,700-91,300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता - (1) 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (2) पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरुषों, महिलाओं और बालकों में तीन वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद् (भाग-अ) में रजिस्ट्रीकृत, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता, ऐसे प्रशिक्षित कंपाउंडर या व्यक्ति को जिन्होंने तीन मास का आपातकालीन नर्सिंग पाठ्यक्रम किया हो, अधिमान दिया जाएगा.

पद कोड-09

सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	02	01	-	-	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	02	01	-	-	03	

वेतनमान – 5,200-20,200+ग्रेड पे 1,900/-

शैक्षणिक योग्यता - (1) जीवविज्ञान, रसायन एवं भौतिकी (बायोलॉजी, केमेस्ट्री एवं फिजिक्स) में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण / 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (2) भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा तथा (3) फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का पंजीयन.

पद कोड-10

बैकलॉग सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	निरंक
2.	ई.डब्ल्यू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	-	-	03	
	योग	02	01	-	-	03	

वेतनमान – 5,200-20,200+ग्रेड पे 1,900/-

शैक्षणिक योग्यता - (1) जीवविज्ञान, रसायन एवं भौतिकी (बायोलॉजी, केमेस्ट्री एवं फिजिक्स) में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण / 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (2) भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा तथा (3) फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का पंजीयन.

4. कार्यालय अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साईंसेस, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) :-

कार्यालय अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साईंसेस, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का पत्र क्र./अधि./सिम्स/2022/3976, दिनांक 26/04/2022 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड-11 सीधी भर्ती - टेक्नीशियन - कुल 23 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	02	-	-	07	निरंक
2.	ई. डब्लू. एस.	02	-	-	-	02	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	-	-	04	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	-	-	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	02	-	-	06	
	योग	17	06	-	-	23	

वेतनमान – 5,200-20,200 ग्रेड पे 2,800

शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय (डीएमएलटी/बीएमएलटी) में डिग्री/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र. (3) म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र.

पद कोड-12 सीधी भर्ती - टेक्नीशियन - कुल 06 पद (20% संविदा कर्मियों के लिए) (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	-	-	-	03	निरंक
2.	ई. डब्लू. एस.	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	
	योग	06	-	-	-	06	

वेतनमान – 5,200-20,200 ग्रेड पे 2,800

शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण. (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय (डीएमएलटी/बीएमएलटी) में डिग्री/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र. (3) म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र.

5. **संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल (आयुष औषधालय एवं चिकित्सालयों हेतु) :-**

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, आधार तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004 के पत्र क्रमांक/एफ-92/2022/02/ स्था./868, दिनांक 08/04/2022 एवं पत्र क्रमांक/एफ-92/2022/02/ स्था./1148, दिनांक 19/05/2022 के अनुसार आयुष औषधालय एवं चिकित्सालयों के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड-13 सीधी भर्ती - आयुर्वेद कम्पाउण्डर - कुल 174 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	29	14	03	02	48	निःशक्तजनों की कुल 10 रिक्तियों में से 03-VH, 05-EH, 02-LD एवं 00-MD निःशक्तजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है.
2.	ई.डब्लू.एस.	10	06	01	-	17	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	19	10	02	01	32	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	18	09	02	01	30	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	28	14	03	02	47	
योग		104	53	11	06	174	

वेतनमान - 25,300-80,500

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2) पढ़ति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण. मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कम्पाउण्डर का एक वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण अथवा आयुर्वेद में डी फार्मा उत्तीर्ण. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन.

पद कोड-14 सीधी भर्ती - होम्योपैथी कम्पाउण्डर - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	
योग		03	-	-	-	03	

वेतनमान - 25,300-80,500

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2) पढ़ति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण. मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कम्पाउण्डर का एक वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन.

पद कोड-15 सीधी भर्ती - यूनानी कम्पाउण्डर - कुल 37 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	04	01	-	11	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01-VH, 01-EH, 00-LD एवं 00-MD निःशक्तजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है.
2.	ई.डब्लू.एस.	02	01	-	-	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	01	-	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	02	01	-	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	03	01	-	10	
योग		21	12	04	-	37	

वेतनमान - 25,300-80,500

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2) पढ़ति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण, जिसमें उर्दू एक विषय हो. मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी कम्पाउण्डर का एक वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होकर म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन.

पद कोड-16 सीधी भर्ती - स्टाफ नर्स - कुल 35 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	03	01	-	10	निःशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01-VH, 01-EH, 00-LD एवं 00-MD निःशक्तजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है.
2.	ई.डब्लू.एस.	02	01	-	-	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	01	-	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	02	01	-	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	05	03	01	-	09	
योग		20	11	04	-	35	

वेतनमान - 28,700-91-300

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2) पढ़ति से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण. मान्यता प्राप्त संस्था से बी.एससी (नर्सिंग)/जी.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण, विधि द्वारा स्थापित परिषद में पंजीयन.

6. **संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल (शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों हेतु) :-**

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, आधार तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004 के पत्र क्र. एफ-87/शाखा-4 आयुष शिक्षा/22/2312-2313, दिनांक 08/04/2022 एवं पत्र क्र. एफ-87/शाखा-4 आयुष शिक्षा/22/3121, दिनांक 25/05/2022 के अनुसार शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है (प्रत्येक महाविद्यालय का पृथक-पृथक आरक्षण रोस्टर है एवं नियमपुस्तिका में रिक्त पदों को एकजाई कर सम्मिलित किया है. पदों की संख्या परिवर्तनीय है) :-

पद कोड-17 सीधी भर्ती - स्टाफ नर्स / नर्स - कुल 88 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	26	12	-	-	38	निःशक्तजनों की कुल 04 रिक्तियों में से 01-VH, 00-EH, 03-LD एवं 00-MD निःशक्तजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है.
2.	ई.डब्लू.एस.	04	-	-	-	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	11	05	-	-	16	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	07	03	-	-	10	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14	06	-	-	20	
योग		62	26	-	-	88	

वेतनमान - 28,700-91-300 (लेवल-7)

शैक्षणिक योग्यता - विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी. नर्सिंग/जी.एन.एम परीक्षा उत्तीर्ण. संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-18 सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट (आयुर्वेद) - कुल 28 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	12	05	-	-	17	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00-VH, 00-EH, 01-LD एवं 00-MD निःशक्तजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है.
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	-	-	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	-	-	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	-	-	05	
योग		20	08	-	-	28	

वेतनमान - 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. आयुर्वेद फार्मसी पाठ्यक्रम में उपाधि/पत्रोपाधि. संबंधित परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-19 सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट (यूनानी) - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	-	-	-	02	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
योग		02	-	-	-	02	

वेतनमान - 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. यूनानी फार्मसी पाठ्यक्रम में उपाधि/पत्रोपाधि. संबंधित परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-20 सीधी भर्ती - पैथोलोजी टेक्निशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
योग		01	-	-	-	01	

वेतनमान - 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-21 सीधी भर्ती - लैब टेक्नीशियन - कुल 32 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	10	05	-	-	15	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01-VH, 00-EH, 00-LD एवं 00-MD निःशक्तजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है.
2.	ई.डब्लू.एस.	01	-	-	-	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	-	-	-	05	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	-	-	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	02	-	-	09	
	योग	25	07	-	-	32	

वेतनमान - 25,300-80,500 (लेवल-6) शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-22 सीधी भर्ती - ओ.टी. टेक्नीशियन - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	-	-	04	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	
	योग	05	01	-	-	06	

वेतनमान - 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. ओ.टी. टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-23 सीधी भर्ती - आडिओ मेस्ट्रिस्ट - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	-	-	-	04	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	04	-	-	-	04	

वेतनमान - 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. आडिओमेट्री प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-24 सीधी भर्ती - क्षारसूत्र टेक्नीशियन - कुल 07 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	-	-	-	07	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	07	-	-	-	07	

वेतनमान - 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. क्षारसूत्र अथवा ओ.टी. लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-25 सीधी भर्ती - एक्सरे टेक्नीशियन - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	-	-	-	04	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	04	-	-	-	04	

वेतनमान – 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. एक्सरे टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-26 सीधी भर्ती - भैषज्य कल्पक - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	01	

वेतनमान – 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. आयुर्वेद फार्मसी पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-27 सीधी भर्ती - रेडियोग्राफर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	01	

वेतनमान – 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-28 सीधी भर्ती - रिफ्रेशनिस्ट - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	-	-	-	03	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	03	-	-	-	03	

वेतनमान – 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. रिफ्रेशन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-29 सीधी भर्ती - पंचकर्म टेक्नियन - कुल 11 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	-	-	-	07	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	-	-	-	02	
	योग	11	-	-	-	11	

वेतनमान - 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. पंचकर्म टेक्नियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-30 सीधी भर्ती - असिस्टेंट लैब टेक्नियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-- निरंक --
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	01	

वेतनमान - 19,500-62,000 (लेवल-4)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. लैब टेक्नियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-31 सीधी भर्ती - पंचकर्म सहायक (महिला एवं पुरुष) - कुल 43 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	17	08	-	-	25	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01-VH, 00-EH, 00-LD एवं 00-MD निःशक्तजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है.
2.	ई.डब्लू.एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	03	-	-	07	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	-	-	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	02	-	-	09	
	योग	30	13	-	-	43	

वेतनमान - 19,500-62,000 (लेवल-4)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. पंचकर्म प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-32 सीधी भर्ती - लेबोरेटरी सहायक / लैब असिस्टेंट - कुल 35 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	12	04	-	-	16	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00-VH, 00-EH, 01-LD एवं 00-MD निःशक्तजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है.
2.	ई.डब्लू.एस.	02	-	-	-	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	02	-	-	07	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	-	-	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	-	-	-	08	
	योग	29	06	-	-	35	

वेतनमान - 19,500-62,000 (लेवल-4)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. लैब टेक्नियन पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-33 सीधी भर्ती - ड्रेसर - कुल 13 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	-	-	-	06	-- निरंक --
2.	ई. डब्लू. एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	-	-	-	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	-	-	-	04	
	योग	13	-	-	-	13	

वेतनमान – 19,500-62,000 (लेवल-4)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र.

पद कोड-34 सीधी भर्ती - कंपाउंडर (आयुर्वेद) - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-- निरंक --
2.	ई. डब्लू. एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	
	योग	02	-	-	-	02	

वेतनमान – 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-35 सीधी भर्ती - कंपाउंडर (यूनानी) - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	-	-	-	02	-- निरंक --
2.	ई. डब्लू. एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	03	-	-	-	03	

वेतनमान – 25,300-80,500 (लेवल-6)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. यूनानी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

पद कोड-36 सीधी भर्ती - डार्करूम अटेंडेंट - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्वसैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	-	-	-	04	-- निरंक --
2.	ई. डब्लू. एस.	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	योग	04	-	-	-	04	

वेतनमान – 19,500-62,000 (लेवल-4)

शैक्षणिक योग्यता - माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण.

अध्याय-3
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश
खण्ड-अ

- 3.1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 3.2** (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलपवाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई-आधार मान्य नहीं है।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी./ प-1/712/2020 भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी।

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

- दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
- मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदानकी जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं पुतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतुकी सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित पी.ई.बी. कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी.ई.बी. स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :- यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- प्रश्न की संरचना गलत हो।

- (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\overline{M}_i - M_q^g}{\overline{M}_i - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where.

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\overline{M}_i is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\overline{M}_i is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाइट देखें)

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु पी.ई.बी. वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थीद्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा, अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 50/- (पचास) मात्र शुल्क देय होगा।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means) / यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी पी.ई.बी. की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र.पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

खण्ड-ब

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-01 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

3.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-01 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर – हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार V ID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
 1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **PEB** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंको के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.25 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

- 3.27** ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।
- 3.28** परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।
- 3.29** म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।
- 3.30** बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया : -
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु **निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता** को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु **संबंधित विभाग** को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
 - संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।
 - बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।
 - अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
 - अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
 - तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3.31** पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन
- प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- 3.32** अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID "complain.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

3.33 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
14/10/2022	28/10/2022	15	14/10/2022	02/11/2022	20

3.34 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	25 नवम्बर 2022 से प्रारंभ	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2	द्वितीय			दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.35 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.36 परीक्षा शहर :-

आवेदको को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। एवं उक्त संबंध में पी.ई.बी. का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन	6. नीमच
7. रतलाम	8. रीवा	9. सागर	10. सतना	11. खंडवा	12. सीधी

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.37

- (i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय - 04

पाठ्यक्रम

(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधित
परिपत्र क्रमांक 74 दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार

प्रश्नपत्र का विवरण :

100 अंक

सं. क्र.	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान	25
2	सामान्य हिन्दी	
3	सामान्य अंग्रेजी	
4	सामान्य गणित	
5	सामान्य विज्ञान	
6	सामान्य अभिरूचि	
7	तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	75

तकनीकी ट्रेड पर आधारित पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

(A) पाठ्यक्रम सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी

1. विषय- अस्थि एवं संधि (जोड़) विज्ञान।
 1. प्राथमिक शरीर रचना।
 2. कंकाल - 1. अक्षीय कंकाल 2. उपांगीय कंकाल
 3. संधि विज्ञान (जोड़ विज्ञान)।
2. विषय- स्पलेन्कनोलॉजी एवं एस्थिसियोलॉजी।
 1. स्पलेन्कनोलॉजी
 2. एस्थिसियोलॉजी
3. विषय- शरीर के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन।
 1. पशु की प्राथमिक शारीरिक संरचना, 2. प्राथमिक पाचन तंत्र, 3. प्राथमिक श्वसन तंत्र, 4. प्राथमिक उत्सर्जन तंत्र, 5. तंत्रिका तंत्र।
4. विषय-अतः स्त्रावी, प्रजनन, दुग्ध विषयक।
 1. प्राथमिक अतःस्त्रावी क्रिया विज्ञान, 2. प्रजनन तंत्र, 3. दुग्ध विषयक, 4. पशुओं की शरीर विकास प्रक्रिया एवं मौसम विज्ञान।
5. विषय-अंतः करण की चयापचय।
 1. एन्जाइम, 2. कार्बोहाईड्रेट्स का चयापचय, 3. वसा का चयापचय, 4. प्रोटीन का चयापचय, 5. विटामिन्स।
6. विषय-कार्बोहाईड्रेट्स, वसा, प्रोटीन एवं नाभिकीय अम्लों का अध्ययन।
 1. कार्बोहाईड्रेट्स का जीव रसायन, 2. लिपिड्स का जीव रसायन, 3. प्रोटीन का जीव रसायन, 4. नाभिकीय अम्ल का जीव रसायन।
7. विषय-साधारण पशु परजीवी विज्ञान और कृमि विज्ञान।
 1. सिद्धांत
 2. सेस्टोड
 3. नेमाटोड
8. विषय-पशु कीट विज्ञान, अकेरोलॉजी, एवं प्रोटोजुआलॉजी - 1. सिद्धांत
9. विषय-जीवाणु विज्ञान और फफूंदी विज्ञान का सामान्य परिचय।
 1. सिद्धांत
 2. प्रथम अध्याय - 1. सूक्ष्मजीव विज्ञान का परिदृश्य, 2. सूक्ष्मजीव विज्ञान का इतिहास 3. सूक्ष्मदर्शी के प्रकार
 3. द्वितीय अध्याय - 1. जीवणुओं की संरचना, गुण, बढ़ाने एवं पहचानने की विधियां।
 4. तृतीय अध्याय - 1. जीवणुओं की संरचना, गुण, बढ़ाने एवं पहचानने की विधियां
10. विषय- शारीरिक जीवाणु और फफूंदी रोग - 1. सिद्धांत, 2. जीवाणुजनित रोग, 3. फफूंदीजनित रोग
11. विषय- सामान्य और शारीरिक विषाणु विज्ञान।
 1. सिद्धांत - 1. विषाणुओं की संरचनायें 2. विषाणुओं को बढ़ाने की विधियां
 2. विषाणुजनित रोगों को जांचने की प्रयोगशाला विधियां
12. विषय- जनरल पशु रोग विज्ञान।
13. विषय- विशेष पैथालॉजी।
14. विषय- क्लीनिकल पैथालॉजी।
15. विषय- पशु पोषण के भूलभूत सिद्धांत।
 1. पशुओं के स्वास्थ्य व उत्पादकता में पोषक तत्वों का महत्व।
 2. पोषण में उपयोग होने वाली विभिन्न शब्दावी एवं उनकी परिभाषाएं।
 3. पशु चारे व दाने की उपलब्धता, महत्व तथा खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण।
 4. रोमान्थी एवं अरौमान्थी पशुओं में पोषक तत्वों का पाचन।
16. विषय- प्रौद्योगिकी।
 1. निम्न स्तर के चारों का भौतिक व रसायनिक विधियों द्वारा उपचार कर पोषक तत्वों को बढ़ाना। 2. दाने का प्रसंस्करण।
 3. पशुओं के खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए तैयार करना। 4. हरे चारे का हे व साइलेज बनाकर संरक्षित करना।
 5. पशुओं के दाने व चारे में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों एवं सामान्य मिलावटों के बारे में जानकारी।
 6. पशुओं व पक्षियों के लिए फीड एडिटिव का उपयोग।
17. विषय- रौमान्थी पोषण
 1. पशुओं की वैज्ञानिक आहार पद्धति का महत्व।
 2. खाद्य मानकों का उपयोग तथा महत्व। संतुलित आहार एवं उनकी विशेषताएं।
 3. आहार गणना के सामान्य सिद्धांत।
 4. गाय-भैंसों की विभिन्न अवस्थाओं जैसे वृद्धि, परिपक्व, गाभिन, दुग्धवस्था तथा सूखी शुष्क अवस्था के लिए आहार निर्धारण।
 5. भेड़ एवं बकरी की शरीर वृद्धि एवं उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे दूध, मांस, ऊन आदि के लिए आहार निर्धारण।
 6. नानप्रोटीन नाइट्रोजन तत्वों का रौमान्थी पशुओं में उपयोग।
18. विषय- अरौमान्थी पोषण
 1. मुर्गियों, सूकरों, घोड़ों के लिए आहार मानक।
 2. मुर्गियों, सूकरों व घोड़ों की विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं के दौरान उनका भरण पोषण।
 3. फीड सप्लीमेंट।
19. विषय- पशु प्रजनन
 1. आनुवांशिकी परिचय- जीन- फीनोटाइप और जीनोटाइप, समरूप और विषमरूप, पशुओं में गुणसूत्र संख्या, शब्दावली, मेंडेल के नियम, पशुओं और मुर्गियों में लिंग निर्धारण, जैनेटिक विविधता।
 2. घरेलू जानवरों की मूल विशेषताएं।
 3. पशुओं और मुर्गियों के आर्थिक गुण और उनके महत्व।
 4. पशु चुनाव: उत्तर चयन (Response to selection), और इस प्रभावित करने वाले कारक।

5. पशु सुधार प्रणाली और चयन के तरीके।
 6. शुद्ध ब्रीडिंग: अतः प्रजनन पद्धति करीब प्रजनन और अंतर वंश प्रजनन, अतः प्रजनन पद्धति के जेनेटिक प्रभाव, फायदे और नुकसान।
 7. संकर प्रजनन: पशुधन प्रक्षेत्रों में रखे जाने वाले पशुओं में संकर प्रजनन का प्रभाव, आनुवंशिक प्रभाव, फीनोटिपिक प्रभाव, भिन्नश्रय (Herosis) और संकर शक्ति (Hybrid vigour), संकर प्रजनन से लाभ, श्रेणी उन्नयन (grading up)।
 8. राज्य में पशुओं और मुर्गियों हेतु चल रहे वर्तमान प्रजनन कार्यक्रम।
20. विषय-
1. पशुओं के रखरखाव का सामान्य अध्ययन।
 1. भारत वर्ष में पशुधन का महत्व।
 2. पालतू पशुओं का वर्गीकरण।
 3. पशु उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामान्य शब्दावली।
 4. भारतीय मानचित्र पर गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ की प्रजातियों की जानकारी।
 5. गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ की विभिन्न प्रजातियों एवं उनके लक्षण।
 6. पशुओं का शरीरिक मापदण एवं चिन्हीकरण।
 7. पशुओं की उम्र एवं दन्त विन्यास।
 8. सामान्य प्रक्षेत्र प्रबंध की विधियाँ जैसे पृथक्कीकरण कीटाणु रहित करना एवं मृत पशु का विनष्टिकरण।
 9. पशुओं की बुरी आदतें एवं रोकथान की उपाय।
 10. पशु शाला का निर्माण एवं स्थल चयन, भारतीय परिवेश में पशु शाला का निर्माण विभिन्न प्रजातियों के लिए लगने वाली जगह का मापदण।
 11. पशु प्रजनन हेतु नर एवं मादा का चयन।
 12. पशुओं से दुग्ध, मांस एवं ऊन प्राप्त करने के लिए आवश्यक आर्थिक गुण।
 13. पशुओं के प्रजनन की विभिन्न विधियाँ एवं उनसे लाभ, हानि।
 14. पशुओं के प्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे वत्स, क्लोर, गाभिन, शुष्क, दुधरू एवं नर पशु के आहार के संबंध में जानकारी।
 15. पशुओं में दुग्ध, मांस एवं ऊन उत्पादन के लिए सामान्य आहार व्यवस्था।
 16. दुग्ध दुहने की विभिन्न विधियाँ।
 17. पशु दुग्ध उत्पादन की विधि।
 18. स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की विधि।
 19. भेड़ों से ऊन प्राप्त करने की विधियाँ एवं लाभ, हानि।
 20. ऊन के विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुणदोष।
 21. ऊन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक।
 22. पशु मेला एवं गौशाला का रखरखाव।
21. विषय-
- सूकर, अश्व एवं खरगोश का प्रबंधन - 1. सूकर प्रबंधन, 2. अश्व प्रबंधन, 3. खरगोश प्रबंधन
22. विषय-
- सामान्य एवं आंगिक भेषज विज्ञान।
1. भेषज विज्ञान एक परिचय, 2. औषधि परिभाषाएँ दवाओं के विभिन्न स्रोत एवं क्रिया।
 3. तंत्रानुसार दवाओं का नामकरण एवं परिभाषाएँ, उदाहरण एवं उपयोग।
23. विषय-
- कीमोथेरेपी एवं विष विज्ञान।
1. जीवाणु रोधी औषधियाँ, सल्फ औषधियाँ, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलिड टेट्रासाइकिनिन, किनोलोन, फ्लूरोकिनालेन, चिकित्सीय एवं नैदानिक उपयोग।
 2. कवक रोधी औषधियाँ, चिकित्सीय एवं नैदानिक उपयोग।
 3. पेट के कीड़ों के विरुद्ध औषधियाँ, एन्टीटिमेटोडल एंटी सिसटोडल, एंटी निमेटोडल औषधियाँ।
 4. प्रोटोजोआ के विरुद्ध औषधियाँ, एंटी ववेसियल, एंटी थायलेरियल औषधियाँ।
 5. बाह्य परजीवियों के विरुद्ध औषधियाँ।
 6. देशी दवायें।
 7. निस्क्रमक एवं एंटी सेप्टिक।
 8. विष विज्ञान सामान्य परिचय इतिहास, पृष्ठ भूमि., परिभाषा, स्रोत, विष के प्रकार, निदान व उपचार के सामान्य सिद्धांत।
24. विषय-
- पशु पालन विस्तार।
1. ग्रामीण विकास के लिये विस्तार शिक्षा की भूमिका।
 2. श्वेत क्रांति में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की भूमिका।
 3. डेरी विकास, पशु प्रजनन एवं नस्ल सुधार में सरकारी संगठनों की भूमिका।
 4. पशु प्रजनन एवं नस्ल सुधार में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका।
 5. कृषि एवं पशुपालन के लिए वित्त पोषण योजनायें।
 6. पशुओं की बीमा व्यवस्था।
25. विषय-व्यवसायिक अण्डोत्पादक मुर्गियों एवं भक्ष्य पक्षियों (ब्रायलरो) की प्रबंधन व्यवस्था।
1. कुक्कुट उत्पादन हेतु आवश्यक सामान व संयंत्र।
 2. चूजों एवं ब्रायलरो का प्रबंध।
 3. पटोर मुर्गियों का प्रबंधन, स्वजाति भक्षण, चोंच कुतरना व आहार नियंत्रण।
 4. अण्डोत्पादक व व्यवसायिक मुर्गियों व ब्रायलरो के जनकों का प्रबंध।
 5. मुर्गी आहार के पोषक तत्व आहार घटक का परीक्षण।
 6. विभिन्न कुक्कुट वर्गों की आहार आवश्यकतायें।
 7. आहार निर्माण व परोसने की विधियाँ।
 8. पेयजल की गुणवत्ता, संग्रह व स्वच्छता।
 9. प्रत्याबल व उससे बचाव।

10. बतख, टर्की व जापानी बटेर पालन की विशेषतायें व प्रबंध।
11. कुक्कुट रोग, उनके नियंत्रण व उपचार के उपाय, टीकाकरण व सावधानियाँ।
26. विषय- कुक्कुट उत्पादन एवं प्रबंध।
1. कुक्कुट, उत्पादन एवं प्रबंध का महत्व, आवश्यकतायें व विशेषतायें।
2. मुर्गी, टर्की, जापानी बटेर बतख पक्षियों की शुद्ध व उन्नत नस्लें।
3. मुर्गियों की शारीरिक संरचना।
4. पाचन संस्थान।
5. जनन संस्थान, कृत्रिम गर्भाधारण।
6. अण्डा व कुक्कुट मांस की पोषण क्षमता।
7. ऊष्मायन हेतु अण्डों का चुनाव, संचयन रखना, अण्डों की सफाई व जीवाणु रहित करना, धूम्रीकरण, ऊष्मायन के लिए अधिकतम अनुकूल परिस्थितियाँ, उर्वरता एवं निर्गमन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक।
8. कुक्कुट गृह की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न कुक्कुट गृह व आवास की परिस्थितियाँ। गहरी बिछाली व पिंजरा पद्धति की लाभ व हानियाँ कुक्कुट आवास की संरचना।
9. अण्डा व मांस का पोषण में महत्व।
10. मुर्गीपालन व ब्रायलर पालन से प्राप्त आय को प्रभावित करने वाले कारक।
11. 1000 ब्रायलरों के प्रक्षेत्र के आय व्यय का विवरण व प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
12. 1000 व्यवसायिक अण्डा उत्पाद मुर्गियों के आय व्यय का विवरण व प्रोजेक्टर रिपोर्ट।
13. अण्डों व मांस का वर्गीकरण व विपणन की विधियाँ।
14. मुर्गियों को मारने व ड्रेस करने की विधियाँ।
15. मांस व अण्डों का मूल्य संवर्धन, विभिन्न सह उत्पाद, शीत संग्रह व विपणन।
27. विषय- पशुओं के संक्रामक रोग।
1. रक्त परिवहन तंत्र से संबंधित रोग। 2. पाचन तंत्र। 3. मूत्र/जनन तंत्र। 4. स्नायु तंत्र के रोग।
5. उपाचय तंत्र। 6. आंख की बीमारी।
28. विषय- पशुओं के संक्रामक रोग।
1. जीवाणु जनित रोग- कारण, लक्षण, उपचार एवं रोकथाम।
2. परजीवी जनित रोग- कारण, लक्षण, उपचार एवं रोकथाम।
3. आंतरिक परजीवी जनित रोग- कारण, लक्षण, उपचार एवं रोकथाम।
29. विषय- पशु शल्य चिकित्सा विज्ञान का प्रारंभिक परिचय।
1. पशु शल्य चिकित्सा परिचय व विवरण।
2. शल्य चिकित्सा के सिद्धांत, शल्य चिकित्सा से पूर्व व पश्चात् की जाने वाली तैयारियाँ व जानकारी।
3. त्वचा व अन्य अंगों में लगाये जाने वाले टांकों की सामग्री, तरीके व गठानों के प्रकार।
4. एपेसिस, एन्टसेप्सिस व डिसइन्फेक्शन विवरण एवं प्रकार।
5. सामान्य शल्य चिकित्सा के औजार व अन्य सामग्री और उनका स्टेरिलाइजेशन।
6. इन्फ्लेमेशन, फोडा, ड्यूमर, सिस्ट, हानियाँ, अल्सर, साइनस, फिस्चुला के लक्षण एवं उपचार।
7. घाव के प्रकार, उपचार एवं विषम परिस्थितियों में प्रबंधन।
8. रक्त स्राव को रोकना, शॉक, हीमोओमा का प्रारंभिक उपचार।
9. नेक्रोसिस, गैंग्रिन, शुष्क, भाप व ठण्ड से जलना, हड्डी का टूटना व जोड़ से उतरना एवं इनकी प्राथमिक चिकित्सा।
30. विषय- पशु शल्य चिकित्सा एवं शल्य क्रिया।
1. निश्चेतना संक्षिप्त परिचय एवं निश्चेतना में पशुओं की देखभाल।
2. क्ष: रश्मि - संक्षिप्त परिचय एवं रेडियोग्राफी के लिए उनकी पोजीशन एवं देखभाल।
3. विशेष शल्य क्रियाओं में आपरेशन के बाद पशुओं की देखभाल।
4. विभिन्न प्रकार के पट्टी बंधन एवं प्लास्टर लगाना।
5. विशेष परिस्थितियों में लघु शल्य क्रियाओं का परिचय।
6. शल्य चिकित्सा में प्राथमिक स्तर की दवाइयों के उपयोग की जानकारी।
31. विषय- सामान्य मादा प्रजनन एवं प्रसूति विज्ञान।
1. पालतू मादा पशुओं के प्रजनन अंगों की जानकारी। 2. शारीरिक विकास, यौवन अवस्था एवं यौवन परिपक्वता।
3. पालतू पशुओं में ऋतुचक्र एवं ऋतु (गर्मी) के लक्षण। 4. ऋतुचक्र के दौरान प्रजनन अंगों की जांच।
5. पालतू पशुओं में जेर के प्रकार, कार्य, गर्भावस्था की समयावधि एवं विभिन्न अवस्थाएँ।
6. गुदा मार्ग द्वारा गर्भ परीक्षण एवं तुलनात्मक परीक्षण। 7. गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारियाँ एवं समस्याएँ।
8. मादा पशुओं में प्रसव के बाद होने वाली समस्याएँ। 9. मादा पशुओं का बार-बार गर्मी पर आना।
10. पालतू पशुओं में प्रसव क्रिया। 11. प्रसव में आने वाली कठिनाइयाँ, जांच एवं निदान।
32. विषय- नर प्रजनन एवं कृत्रिम गर्भाधान।
1. नर जननांगों एवं वृषण का तुलनात्मक अध्ययन। 2. शारीरिक परिपक्वता एवं प्रजनन अंगों का विकास।
3. नर पशुओं में बांझपन के प्रकार, सामान्य जानकारी, जांच एवं उपचार। 4. संभोग के दौरान प्रजनन अंगों में चोट एवं अन्य संक्रमण।
5. वृषण अंगों का क्षय। 6. वृषण अंगों के आकार का सामान्य से छोटा होना। 7. कृत्रिम गर्भाधान के लाभ एवं सीमायें।
8. विभिन्न पालतू पशुओं में वीर्य एकत्रित करने की विधियाँ। 9. कृत्रिम गर्भाधान की विधियाँ। 10. वीर्य परीक्षण।
11. वीर्य को तरल करने की विधि एवं संरक्षण। 12. वीर्य का संग्रहण एवं स्थानान्तरण।
33. विषय- पशुचारा उत्पादन(भाग-1)।
1. मध्यप्रदेश में चारे की स्थिति एवं चारा उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्य योजना। 2. रासायनिक खादों का सशक्त विकल्प - वर्मी कम्पोस्ट।
3. मौसम परिवर्तन एवं चारा उत्पादन। 4. चंद्रशूर की वैज्ञानिक खेती। 5. हरा चारा: जई की उन्नत उत्पादन तकनीकी।

6. रिजका (सबमतदम)। 7. मध्यप्रदेश की नई चारा फसल - राजमूँग। 8. लोबिया की उत्पादन तकनीकी।
 34. विषय- पशुचारा उत्पादन(भाग-2)।
 1. जैविक खेती एवं जैविक पोषक तत्वों के स्रोत एवं प्रबंधन। 2. बाजरा का तकनीकी उत्पादन।
 3. चारा का परीक्षण एवं सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु उन्नत तकनीक। 4. कृषि एवं औषधि क्षेत्र में गोबर व गौमूत्र का आर्थिक महत्व।
 5. बरसीम का उत्पादन। 6. हरे चारे की फसल मक्का। 7. नेपियर घास से भरपूर चारा कैसे लें। 8. हरी खाद।

(B) पुरुष स्टाफ नर्स/मेल नर्स/स्टाफ नर्स/नर्स हेतु पाठ्यक्रम :-

1. ANATOMY AND PHYSIOLOGY

1. Structure and function of cell, tissue, Skeletal System, joints and muscles of body
2. Structure and function of various system of human body for exc. Nervous System Circulatory, Respirator System, Excretory system, Reproductive system, Endocrine system. And Digestive system of human body.
3. Sensory organs.

4. NUTRITION ANDBIOCHEMISTRY

Macro nutrient and Micro nutrient. Cookery rules and Preservation of nutrients. Role of nurse in nutrition programme

5. MICROBIOLOGY

Types of immunity, Immunization, Hyper sensitivity and auto Immunity, Control and Destruction of Microbes:-
 Sterilization, Disinfection, Chemotherapy and Antibiotics, Pasteurization, Medical and Surgical Asepsis, Bio safety and Waste management

6. NURSING FOUNDATION

1. concept of health, nursing profession, hospital policy, nursing process, documentation, Recording, reporting health assessment, and meeting general and special need of patients care of terminally ill patients.

2. PSYCHOLOGY

1. Personality development. Motivation and emotional process.
2. psychological assessment and mental health and hygiene.

3. COMMUNITY HEALTH NURSING

1. Health determinants, Epidemiology and nursing management of common communicable diseases and non-communicable diseases, population explosion and its control.
2. Health policy and planning, national health and family welfare programme, health agencies, role and responsibility of community health nurse

3. MEDICAL SURGICAL NURSING

1. Common signs, symptoms, and nursing management of medical and surgical systemic
2. disorders of human body.
3. nursing management of pre and post-operative patients.
4. nursing management of communicable and non-communicable diseases
5. nursing management of patients in emergency and disaster situation.
6. nursing management of geriatric client
7. General clinical investigation
8. Oncology Nursing
9. Fluid and electrolytes balance and Imbalanced

10. CHILD HEALTH NURSING

1. modern concept of child health nursing, IMNCI, management of behavioral and social
2. problem of children, care of new born and new born resuscitation, KMC

3. MIDWIFERY AND OBSTETRICAL NURSING

1. concept of midwifery and obstetrical nursing.
2. assessment and management of antenatal, intra-natal, and postnatal period.
3. assessment and management of normal neonates' high-risk pregnancy, abnormal Labour.
4. Drugs used in obstetric nursing, Family welfare programme.

5. MENTAL HEALTH NURSING

1. Principals and concept of mental health nursing, Assessment of mental health nursing,
2. nursing management of client with psychotic and neurotic disorder, legal issue in mental health nursing.

3. NURSING RESEARCH AND STATISTICS

1. Research approach, design, sampling review of literature, and statistical analysis

2. MANAGEMENT OF NURSING SERVICES AND EDUCATION

1. skill of communication, inter personal relationship and human relation
2. Guidance and counselling, use of A V Aids, various method of class room and clinical
3. teaching, use of IEC material
4. Assessment of knowledge skill and attitude and OSCE
5. Management of nursing services in the hospital and community, in service education,
6. management of nursing institution and professional advancement, budget planning .

7. SOCIOLOGY

- a- Relationship between individual and society
- b- Social group, social changes, social control problems and different culture.
- 8. Population, family and marriage and types of community in India.

9. NURSING ADMINISTRATION AND WARD MANAGEMENT

- 1. Administration and management process
- 2. Administration of Hospital department, Units, Wards
- 3. Management of equipment supply
- 4. Cost and financing of Health care
- 5. Vital statistics

(C) पाठ्यक्रम - फार्मासिस्ट ग्रेड-2

PHARMACEUTICS

Introduction to different dosage forms, their classification with examples—their relative applications. Familiarization with new drug delivery systems. Introduction to Pharmacopoeias with special reference to the Indian Pharmacopoeia. Size reduction, Size separation, Metrology—system of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustment of products. Use of alligation method in calculations. Isotonic solutions. Mixing and homogenization. Packaging of pharmaceuticals Extraction and galenicals, Clarification and filtration, Heat processes, Introduction to drying processes, Distillation, Sterilization—concept of sterilization and its differences from disinfection—thermal resistance of microorganisms. Detailed study different sterilization processes. Study of immunological products like sera, vaccines, toxoids and their preparations., Processing of tablets, Processing of capsules

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY

Acids, bases and buffers, Gastrointestinal agents, Acidifying agents, Antacids, Protectives and adsorbents, Saline cathartics. Antioxidants, Topical agents — (i) Protectives (ii) Antimicrobials and astringents (iii) Sulphur and its compounds (iv) Astringents—alum and zinc sulphate. Dental product, Inhalants, Respiratory stimulants, Expectorants and emetics, Antidotes. Major intra and extracellular electrolytes, Inorganic official compounds of iron, iodine and calcium; ferrous sulfate and calcium gluconate. Radio pharmaceuticals and contrast media radioactivity, Identification tests for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia. Quality control of drugs and pharmaceuticals

PHARMACOGNOSY

Definition, history and scope of pharmacognosy including indigenous system of medicine. Various systems of classification of drugs of natural origin. Adulteration and drug evaluation; significance of pharmacopoeial standards. therapeutic effects and pharmaceutical applications of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins. Occurrence, distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever applicable and therapeutic efficacy of (a) Laxatives (b) Cardiotonics (c) Carminatives & G.I. regulators catechu. hyoscyamus, belladonna, aconite, ashwagandha, ephedra, opium, cannabis, nux vomica. rauwolfia. vasaka, tolu balsam, tulsi. guggal, colchicum, vinca. chaulmoogra oil. pterocarpus, gymnema sylvestro. gokhru, punarnava. ipecacuanha. benzoin, myrrh, neem, curcuma. cinchona. ergot. shark liver oil and amla. papaya, diastase, yeast. Collection and preparation of crude drugs from the market as exemplified by ergot, opium, rauwolfia, digitalis, senna. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings—cotton, silk, wool and regenerated fibres.

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY

Introduction to biochemistry. Brief chemistry and role of carbohydrates, proteins, lipids, their classification and related diseases. Role of minerals and water in life processes. Brief chemistry and role of vitamins and coenzymes. brief concept of enzymatic, Introduction to pathology of blood and urine.

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

Definition of various terms used in anatomy, physiology, Structure of cell, unction of its components with special reference to mitochondria and microsomes. Elementary tissues of the body, Composition of blood, blood group and coagulation of blood, Name and functions of lymph glands. Anatomy and physiology of different body systems in Brief .

HEALTH EDUCATION & COMMUNITY PHARMACY

Concept of health—definition, indicators of health, concept of disease, prevention of diseases. Environment and health. First aid—emergency treatment in shock, snake bite, burns, poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings. Fundamental principles of microbiology, organisms of common diseases. Non-communicable diseases—causative agents, prevention, care and control. Cancer, diabetes, blindness, cardiovascular diseases. Communicable disease—causative agents, modes of transmission and prevention. (a) Respiratory infections—chicken pox, measles, influenza, diphtheria, whooping cough and tuberculosis. (b) Intestinal infections—poliomyelitis, hepatitis, cholera, typhoid, food poisoning, hookworm infection. (c) Arthropod borne infections—plague, malaria, filariasis. (d) Surface infections—rabies, trachoma, tetanus, leprosy. (e) Sexually transmitted diseases—syphilis, gonorrhoea, AIDS. Nutrition and health, vitamins and minerals. Demography and family planning, natural family planning methods, chemical methods, mechanical methods, hormonal, contraceptives, population problem of India. Epidemiology —I mmunity and immunisation, immunological products and their dose schedule. Principles of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control.

DISPENSING PHARMACY

Prescriptions : Reading and understanding of prescription; Incompatibilities in prescriptions, Posology: Dose and dosage of drugs, Dispensed Medications: (i) Powders (ii) Liquid oral dosage (b) Biphasic liquid dosage forms: • Suspensions • Emulsions (iii) Dental and cosmetic preparations: (iv) Semi-solid dosage forms: (a) Ointments (iv) emulsification. (v) Sterile dosage forms: (a) Parenteral dosage forms (b) Sterility testing, (c) Ophthalmic products— study of essential characteristics of different ophthalmic preparations.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II

chemistry of pharmaceutical organic compounds covering their nomenclature, chemical structure, uses and the important physical and chemical properties. The stability and storage conditions and the different types of pharmaceutical formulations of the drugs.

Pharmacology and Toxicology

Introduction to pharmacology, scope of pharmacology. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages. Various processes of absorption of drugs and the factors affecting them. Metabolism, distribution and excretion of drugs. General mechanism of drugs action and the factors which modify drugs action. Pharmacological classification of drugs. (i) Drugs acting on the central nervous system: (a) General anaesthetics, intravenous anaesthetics. (b) Analgesic, antipyretic, sedatives and hypnotics, anti-convulsants, (ii) Local anaesthetics. (iii) Drugs acting on autonomic nervous system. (iv) Drugs acting on eye, (v) Drugs acting on respiratory system (vi) Antacids, (vii) Cardiovascular drugs, (viii) Drugs acting on the blood and blood forming organs. (ix) Drugs affecting renal function (x) Hormones and hormone antagonists (xi) Drugs acting on digestive system

Pharmaceutical Jurisprudence

(D) पाठ्यक्रम - टेक्नीशियन/पैथोलॉजी टेक्निशियन/लेब टेक्नीशियन/असिस्टेंट लैब टेक्निशियन/लेबोरेटरी सहायक/लैब असिस्टेंट

APPLIED ANATOMY & PHYSIOLOGY - Study of the structure of a cell. - Normal anatomical Structure, Histology and Functions, (Physiology) of the all Human Body Systems,

BIOCHEMISTRY - Biochemical structure of the Carbohydrates Proteins, Lipids Enzymes, Clinical Biochemistry - Kidney function tests, Liver function Test, Cardiac Profile, Lipid Profile

HEMATOLOGY - Composition of blood, collection of blood and anticoagulants, Hb estimation, TRBC count - ANAEMIAS, Preparation & staining of blood films, Leukopoiesis), TWBC & DWBC Count, Absolute values, ESR, PCV, Reticulocyte count, Platelet count, BT & CT LE cell preparation, Sickling test, Osmotic fragility Bone Marrow Examination.

BLOOD BANKING - Blood Groups, Cross Matching, Coomb's test, Donor Screening, Blood Transfusion, & transfusion reactions, Blood Components

CLINICAL PATHOLOGY - Physical chemical & microscopic examination of urine, stool examination, Semen examination, CSF exam.

PARASITOLOGY - Parasites in Blood, stool & urine

MICROBIOLOGY - Morphology of Bacteria, Culture and isolation of bacteria, Gram positive and gram negative cocci and bacilli, Anaerobic spore bearing bacilli.

SEROLOGY - Antigen & Antibodies, Diagnosis of syphilis - VDRL & RA test., Widal test, ELISA test.

HISTOLOGY - Fixatives, Tissue processing, impregnation, Block making, Section Cutting, Basic staining of sections, Collection of tissues for histology, Method of Decalcification.

CYTOLOGY - Techniques & equipments required, Fixatives and staining procedure

(E) कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट/भैषज्य कल्पक (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य शिक्षा

1. आयुर्वेद परिचय, लक्षण, आयुर्वेद का प्रयोजन।
2. अष्टांग आयुर्वेद एवं लघुत्रयी, बृहत्त्रयी तथा प्रत्येक विभाग के ख्याति प्राप्त ग्रंथ ।
3. स्वास्थ्य की परिभाषा, त्रिसूत्र चतुष्पाद, त्रिस्तम्भ, त्रिउपस्तम्भ ।
4. दोष, धातु मल, अग्नि का सामान्य परिचय, परिभाषा प्रकार एवं लक्षण।
5. विभिन्न वैज्ञानिक शब्दों का परिचय - द्रव्य (स्थावर, जांगम, पार्थिव), विविध औषध (देवव्यपाश्रम सत्वावजय) प्रकोप, प्रशमन, द्विविध औषधि (शोधन शमन), (ऋतु) आदान काल एवं विसर्ग काल, हंसोदक, देश (जागल आनूप साधारण) सामान्य, विशेष सिद्धान्त, पंचमहाभूत, देह प्रकृति एवं मानस प्रकृति पथ्य एवं अपथ्य ।
6. औषधि सेवनकाल, अनुपान एवं इसका महत्व ।
7. आयुर्वेद का पत्र-पत्रिकायें।
8. स्वास्थ्य की परिभाषा एवं अवधारणा
9. स्वास्थ्य एवं आहार ।
10. व्याधि उत्पत्तिकर भाव।
11. स्वस्थवृत्त
12. संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम।
13. आदर्श ग्रह, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता का सामान्य ज्ञान ।
14. मातृ एवं शिशु कल्याण, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर कर्म, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन ।

15. मांसपेशियों एवं अस्थियों का परिचयात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान। मांसपेशियों :- डेल्टॉयड, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स अस्थियों फीमर, टीबिया फिबूला, ह्यूमरस रेडियस अलना। शिरार्यः- जुगलर वेन, फीमोरल वेन, सुपीरियर अस्थिया वेनाकावा, इन्फीरियर वेनाकेवा. धमनियां :- रेडियल एवं कोरोनरी आर्टरी
16. श्वसन संस्थान, रक्तवह संस्थान, पाचन/मूत्रवह एवं प्रजनन संस्थान एवं वातवह संस्थान नवर्स सिस्टम का सामान्य परिचय व ज्ञान ।
17. नाड़ी, रक्तचाप, श्वसन, श्वसनगति, तापमान एवं शलाका से मंत्र निर्गमन, इन्टेक एवं आउटपुट चार्ट की व्यवस्था का सामान्य परिचय एवं ज्ञान।

द्रव्यगुण विज्ञान

1. द्रव्यगुण का सामान्य परिचय एवं प्रमुख ग्रंथो (निघण्टुओं) का ज्ञान
2. द्रव्य, रस, गुण बीर्य, विपाक एवं प्रभाव का सामान्य परिचय।
3. बृहत्त्रयी एवं आधुनिक मतानुसार द्रव्यों का वर्गीकरण
4. द्रव्यों का पाच्यभौतिकत्व, रसों का षडविधत्व, मधुरादि षडरसों के गुणधर्म
5. निम्नलिखित वैज्ञानिक शब्दों का प्रारम्भिक ज्ञान दीपन, पाचन, शमन, अनुलोमन, संसन, भेदन, रेचन, वमन, ग्राही, स्तंभन, छेन, लेखन, बाजीकरण, रसायन, व्यवायी, विकाशी, मदकारी, प्रमाथी अभिष्यन्दी, योगवाही।
6. निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान: दशमूल, पंचवल्कल, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, त्रिजात, चातुजात, पंचकोल, चगंषण तृणमूल कण्टकपंच अष्टदुध, स्नेह, मूत्र चतुराम्ल, पंचम्ल, दशमनि ।
7. ऋतुओं के अनुसार द्रव्यों का संग्रह, द्रव्यों का महत्व एवं प्रतिनिधि द्रव्य ।
8. द्रव्यों की संग्रह विधि, संग्रहित द्रव्यों से औषधि द्रव्य को निकालकर उनका शुष्कीकरण औषधि द्रव्यों की पहिचान का उपद्रव्यों से अलगवा की विधि।
9. औषधिय पौधों का संवर्धन
10. निम्नलिखित द्रव्यों का परिचय, पर्याय एवं औषधीय गुणकर्म:
कण्टकारी, बृहती, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, गोक्षुर, पाटला, बिल्व, अग्निमंथ, हरीतकी, श्योनाक, आमलकी, शुण्ठी, गंभारी, पिप्पली, चित्रक, पिप्पलीमूल, पारसपीपल, वट, अश्वत्थ, उदुम्बर, नीम, प्लक्ष, तुलसी, कुमारी, बलाचतुष्टय, शतावरी, अर्जुन, शंखपुष्पी, शरपुंखा, आरग्वध, एरण्ड, स्नुही, निर्गुण्डी, निंबु, भूनिम्ब, भृंगराज, नागरमोथा, दुर्वा, धान्यक, घातकी, गुंडूची, मधूक, कुटज, पुनर्नवा, मरिच, शिरीष, अपामार्ग, अर्क, अजमोदा, अम्लिका, पाठा, बदर, मदनफल, विडंग, शाल्मली, शोभांजन, शिशपा, काकमाची, मजिस्ता, ब्राह्मी, एला, कटुकी, पाषाणभेद, विदारी, चंदन, जटामासी, दाडिम, कुष्माण्ड, वार्ताक, काकाझांगी, शतपुष्पा, दारुहरिद्रा, करवीर, भूम्यामलकी, विजयसार, अतिविषा, पर्यटक, प्रियाल, मेथिका, कम्पिलक, हरिद्रा, सर्पगंधा, सर्पगन्धा, कपित्थ मसूली, मधुराष्टी, मण्डूकपर्णी, पारसीक यवानी, गोरखमुंडी, बाकुची, अश्वगंधा, पलाश, वचा, मूलक, वत्सनाभ, वकुल, शेफालिका, शैफालिका, लज्जालु, नारिकल, भंगा, पुष्करमूल, स्वदिर, अहिफेन, वासा, अशोक, स्वर्णक्षीरी, तालीस पत्र, धत्तुर, शिम्बी, भल्लातक, लवंग, स्वकृ, द्राक्षा, अलाबू, शूरण, इन्द्रियव, रसोन, गुग्गुलु कपीकच्छु, कुपीलू, किरातिक, ज्योतिषमति, देवदारु, जातिफल, दुग्धिका, गुंजा

रसशास्त्र

1. रसशास्त्र का परिचय रस एवं रस के पर्याय, रसशास्त्र में रस का महत्व रसोषधियां ।
2. महारस उपरस एवं साधारण रस की पश्चिम एवं स्वकी इस का शोधन, अशुद्ध रोवन जन्य विकार, धान्याक
3. धातु एवं मण्डूर का परिचय एवं खरू मण्डूर शोधन की सामान्य एवं विशिष्ट विधियां
4. निम्न द्रव्यों का परिचय एवं स्वरूप मुक्ताप्रवाल, शंख, गोदन्ती, बदराम, समुद्रफेन, कुक्कुटवर्क टंकण, मृगश्रुङ्ग।
5. निम्नलिखित यंत्रों का परिचय एवं उपयोग: तुला स्वत्व उलूखल, पालिका, स्थाली, ढोला, डमरू, दुक, स्वेदनी, विद्याधर, कच्छप विविध बालुका पर पाताल संधिवाकडमटटी
6. पुट परिचय एवं उपयोग सामान्य उपयोग विधि एवं पुटपाक में आधुनिक तकनीक का प्रयोग।
7. निम्नलिखित वैज्ञानिक शब्दों का सामान्य ज्ञान स्वांगशीत, दहिशीत दालन, आवाप निर्वाप, सत्व, वनोषधि सत्व, लवण, पंचक, क्षारत्रय, क्षारपंचक, पंचामृत, पंचगव्य, पंचाज, पंचमाहिष, पंचमृतिका, ककसास टक, दुति द्वावणगण, दुग्धवर्ग, गुषा, मूत्रवर्ग, मुद्रा, कोष्ठी।
8. शोधन का परिचय एवं उद्देश्य
9. मारण परिचय एवं उद्देश्य मृत लौह परीक्षा
10. रस का ग्राह्य एवं अग्राह्य स्वरूप अशुद्ध पारदजन्य विकार एवं शांति के उपाय, रसदोष, रस गति, पारद शोधन के समय द्रव्यगत एवं शरीरगत सावधानियां। शोधन की सामान्य एवं विशेष विधियां अष्टसंस्कारों का सामान्य परिचय, हिंगुलोत्थ पारद एवं इसका महत्व।
11. हिंगु एवं गुग्गुल के कुछ योगों का परिचय एवं निर्माण विधि।
12. निम्नलिखित द्रव्यों के शोधन, मारण प्रायोग एवं प्रत्येक के कुछ योगों का परिचय प्रवाल, शंख, शुक्ति, कपर्दिका, स्फटिका, दुग्धपाषाण, गोदन्ती, बदराशम, समुद्रफेन कुक्कुटाण्डतवक भृंगश्रृंग टंकण का शोधन एवं सामान्य प्रयोग
13. पिष्टी कल्पना-परिचय, निर्माण विधि सामान्य प्रयोग एवं प्रत्येक के कुछ योग प्रवाल, मुक्ताशुक्ति जहरमोहरा, अकीक ।
14. स्वल्वीय रसायन, कुपीपक्व रसायन पर्पटी रसायन, पोटटली रसायन ।
15. मच्छना सगन्ध, निर्गन्ध, साग्नि निरग्नि, अलतधूर्म बाल जारणा ।
16. कज्जली, रसपंटी, पंचामृत पर्पटी बोल पर्पटी, श्वेत पर्पटी, रस सिंदूर ताम्रासिंदूर, मल्ल सिंदूर समीरपन्नग तलस्थ स्वर्णबंग, रसकपूर। उपरोक्त सभी की निर्माण विधि एवं प्रयोग तथा कुछ योगों का परिचय।
17. अब्रक, मालिक, कासीस, हरताल के मारण का वर्णन एवं सामान्य प्रयोग कुछ योग एवं लोहितीकरण।
18. निम्न इदों के मारण, सामान्य प्रयोग एवं कुछ योगों का वर्णन जैसे स्वर्ण, रजत, लोह, ताम्र, मण्डूर, अमृतीकरण भानूपार्क, स्थालीपाक, पुटपाक, सोमनाथी ताम्र भस्म का विवरण।
19. नाग, वंश एवं यशद का जारण एवं मारण इसके कुछ योगों का सामान्य प्रयोग
20. निम्न का परिचय, निर्माण विधि एवं सामान्य प्रयोग द्वावक कल्प शंखद्राव, गंधक द्राव ।

भेषज्य कल्पना एवं भेषज्य शाला प्रबंधन

1. भेषज्य कल्पना का परिचय, प्रशस्त भेषज, चतुष्पाद मे भेषज का महत्व।
2. कल्पना - संस्कार एवं उनकी सर्वोयता अवधि निर्मित औषधियों का भंडारण एवं सरक्षण, अनुक्त की अवस्था में अर्थग्रहण, पुनरुक्त, लैशक्ति।
3. मान का महत्व, विभिन्न मानों का परिचय एवं उनका मीट्रिक पद्धति में रूपांतरण शुष्क एवं आंद्र

4. द्रव्य ग्रहण विधि मात्रा एवं औषध मात्रा ।
5. स्वरस की परिभाषा, निर्माण विधि, पुटपनवस्तरसविधि, आर्द्र द्रव्याभाव स्वरस निर्माण विधि सामान्य सेवन मात्रा प्रक्षेप द्रव्य स्वरस योगों के कुछ उदाहरण ।
6. कल्क की परिभाषा निर्माण विधि, सामान्य सेवन मात्रा, प्रेक्षप एवं कल्क योगों के कुछ उदाहरण ।
7. क्वाथ की परिभाषा, निर्माण विधि सामान्य सेवन मात्रा, प्रक्षेप द्रव्य, यवकुट एवं क्वाथ योगों के कुछ उदाहरण प्रमथ्या, औषध, सिन्धु पानीय, क्षीरपाक, लाक्षारस, उष्णोदक ।
8. हिम की परिभाषा, निर्माण विधि, सामान्य सेवन मात्रा प्रक्षेप द्रव्य हिम योगों के कुछ उदाहरण एवं तण्डुलोदक ।
9. फाण्ट की परिभाषा, निर्माण विधि, सामान्य सेवन मात्रा प्रक्षेप द्रव्य एवं फाण्ट योगों के कुछ उदाहरण ।
10. विभिन्न पथ्य कल्पनाए- मण्ड, पैया, विलेपी, यवागू, यूष, कुताकृत, औषध सिद्ध यूष, भक्त, कृशरा, मन्थ पानक, रागषाडव, काम्बलिका खण्ड, मांस रस, वेशवार, घोल, मथित, तक उदशिवत ।
11. औषध नामकरण ।
12. फार्मसी में प्रयुक्त आधुनिक मशीनों का ज्ञान ।
13. A. Cutting/ Chopping Machine. B. Pulveriser. C. Mixer. D. Grinder. E Tablet making Machine. F. Tablet cutting Machine. G Taller Stripes Packing Machine. H. Juice Pressures (Explorer). 1. Pulpar. J. Granulator. K. Furnace. L. Server etc.
14. चूर्ण परिचय सामान्य चिकित्सोपयोगी निर्माण में प्रयुक्त प्राचीन एवं आधुनिक यन्त्रोपकरणों का ज्ञान
15. वाटिका, चांकेका वटक एवं मोदक की परिभाषा एवं इनकी निर्माण विधि।
16. गुग्गुलु कल्प- परिचय, निर्माण विधि एवं इसके कुछ योग
17. वर्ति कल्पना विभिन्न वर्तियों का परिचय एवं इनका निर्माण।
18. अवलेह कल्पना परिचय एवं निर्माण विधि गुड शर्करा पाक, पाक परीक्षा, प्रक्षेप द्रव्य, धनसत्व एवं इसके कुछ योग
19. खण्ड पार्क परिचय एवं निर्माण विधि
20. क्षार कल्पना परिचय एवं निर्माण विधि, कुछ योग, क्षारसूत्र निर्माण विधि।
21. सधान कल्पना परिचय आसव, अरिष्ट निर्माण विधि एवं सन्दि परीक्षा, प्रक्षेप एवं कुछ योग काजी का परिचय एवं निर्माण विधि तथा प्रयोग।
22. अजन- त्रिरूप, रसाजन, चूर्णाजन एवं इनका महत्व।
23. स्नेह कल्पना का परिचय, स्नेह मूर्च्छना स्नेह पाक विधि प्रकार प्रयोजन एवं परीक्षा
24. तेल- तेल तिमि
25. शर्करा कल्पना परिचय निर्माण विधि एवं शर्करा
26. अर्क कल्पना परिचय निर्माण विधि एवं अर्क के कुछ उदाहरण नेत्रबिन्दु का निर्माण कुछ योग ।
27. लवण कल्पना परिचय निर्माण विधि एवं कुछ योग ।
28. मसीकल्पना- परिचय निर्माण विधि एवं कुछ योग।
29. लेप, उपनाह, एवं मलहर का परिचय निर्माण विधि एवं प्रत्यर्क कल्पना कुछ उदाहरण ।
30. औषधि संरक्षक खाद्य रसायन एवं उनके प्रयोग।
31. भारत वर्ष के प्रमुख औषधि संग्रह रखरखाव वितरण एवं मिश्रण निधि का ज्ञान व्यवस्था पत्रक में प्रयुक्त संकेतो का ज्ञान।
32. औषधि मिश्रण वितरण एवं उप स्थाता के कर्तव्यों का परिचयात्मक विवरण।
33. आयुर्वेद एवं आधुनिक मतानुसार औषधि मात्रा का ज्ञान।
34. एकल औषधि एवं मिश्रण औषधियों का ज्ञान एवं उनके भेद
35. वितरण की विधी
36. व्यवस्था पत्रक का ज्ञान एवं आदर्श फार्मसिस्ट द्वारा वितरण इकाई का रख रखाव।
37. व्रण का निवासंग चवर्ग, अंजन, विडालक एवं आश्चोतन का तकनीकी ज्ञान
38. गॉज, बेन्ज कची, चाकू, फारसेवा साधारण एवं दंतगुव का निर्जीवाणुकरण एवं यंत्रों का बहिरंग चिकित्सालय में प्रयोग का ज्ञान
39. व्यवसायिक गणित, आय व्यय का विवरण, मूल्य निर्धारण, एकाउंटसी एवं लेखा परीक्षण
40. आदयोगिक प्रवधन एवं विपणन का संक्षिप्त ज्ञान
41. रसशाला की कार्यविधि द्रव्यों का संग्रह संरक्षण एवं विधिवत वर्गीकरण औषधि का ज्ञान।
42. औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रकिया का ज्ञान

(F) होम्योपैथी कम्पाउण्डर पाठ्यक्रम

शरीर रचना (एनाटामी) :-

1. सामान्य गर्भ की उत्पत्ति, भ्रूण विज्ञान, गर्भ से जन्म तक शरीर का विकासक्रम।
2. मानव शरीर के अंग प्रत्यंग, कोष, अवयव, त्वचा, कला, लिगामेंट, आदि।
3. अस्थि, उनकी संख्या, भेद, स्थान, दांत, नख, केश, अस्थि संधि भेद।
4. मांसपेशी उनकी संख्या एवं प्रकार।
5. शिरा, धमनी, केश वाहिनी, लिम्फ मसल्स और नोड्स का सामान्य ज्ञान।
6. रक्त संगठन, रक्त परिचाप तथा हृदय की रचना।
7. स्वास संस्थान, स्वर यंत्र, श्वासनली, श्वसन प्रणाली व फेफड़ों का वर्णन
8. पाचन संस्थान के अवयवों की रचना और स्थिति का ज्ञान
9. मुत्र संस्थान के अंगों का संक्षिप्त परिचय।
10. प्रजनन संस्थान, पुरुष व स्त्रियों की जननेन्द्रियों, शुक्राणु, अंडकोश, डिम्ब, गर्भाशय, ओवरी आदि का संक्षिप्त परिचय।
11. संधि तंतु संस्थान का संक्षिप्त परिचय।
12. नली विहीन ग्रंथियों के नाम, स्थिति तथा कार्य का संक्षिप्त परिचय।
13. ज्ञानेन्द्रियों की रचना, संख्या, स्थिति तथा कार्य का संक्षिप्त परिचय।

शरीर किया विज्ञान (फिजियोलोजी) :-

1. कोशिका तथा इसके प्रकार उत्तक तथा शरीर के अंग।
2. प्रोटोप्लाज्म इसके संगठन, प्रोटीन की रासायनिक संरचना, कार्बोहाइड्रेट एवं एंजाइम।
3. ज्ञानतंतु तथा मसल्स क्रिया विज्ञान, मसल्स के प्रकार।
4. रक्त का संगठन, परिभाषा, वाल्यूम, रक्त के कार्य, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना और इसके मिश्रण रक्त का जमना व रक्त समूह।
5. हृदय संस्थान- हृदय पेशी की बनावट और इसके गुण, हृदय के कार्य, रक्त परिभ्रमन् धमनियों की बनावट, शिरा तथा केशवाहिनी तथा नाड़ी, रक्त दाब आदि।
6. स्वास संस्थान- श्वास प्रश्वास के अंगों की बनावट, कार्य, श्वास प्रश्वास- आतरिक तथा बाह्य स्वासन आदि।
7. पाचन संस्थान- भोजन का पाचन, उसमें सहायक अंगों के कार्य, विभिन्न पाचक रस नाम व उसकी क्रियाएं।
8. ज्ञानेन्द्रियों- दृष्टि श्रवण, स्वाद गंध, त्वचा।
9. गुर्दे की संरचना- कार्य, संक्षिप्त परिचय, मूत्र, पसीना आदि।
10. पुनरोत्पत्ति संस्थान- पुरुष तथा महिला के जनन अंगों के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन।

होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एवम् आर्गनन :-

- अ. निम्न होम्योपैथिक औषधियों का संक्षिप्त परिचय सूची -** 1. एकोनाइट नेप 2. इथूजा साइनेपियन 3. एलोज 4. एटिम टार्ट 5. एपिस मेल 6. अर्जेन्टाम नाइट्रिकम 7. आनिका 8. अरान मेट 9. बेण्टीशिया 10. आर्सेनिक अल्ब 11. बेरायटा कार्ब 12. बेलाडोना 13. ब्रायोनिया 14. कैक्टस जी 15. केल्लेरिया कार्य 16. केयरित 17. कार्बा वेज 18. कास्टिकम 19. केमोमिला 20. चायना 21. चेलीडोनियान 22. कोलोथि 23. कोनियन 24. क्यूम मेट 25. डिजीटेलिस 26. उल्कामारा 27. फेरम नेट 28. जेल्सेमियम 29. ग्राफाइटिस 30. हेमामिनिस 31. हीपरसल्फ 32. हायोसियामस 33. इग्नेशिया 34. इपीकाक 35. काली बाईकोम 36. काली कार्य 37. लेकेसिस 38. लेडम पाल 39. लाइकोपोडियम 40. मर्क साल 41. नेट्रम म्यूर 42. नाइट्रिक एसिड 43. नक्स योमिका 44. फासफोरस 45. पोडोफाइलम 46. पल्सेटिला 47. रस टाक्स 48. सीपिया 49. सल्फर 50. बेरेट्रम एला

- ब. बायोकेमिक औषधियों की सूची :-** 1. केल्लेरिया फलोर 2. केल्लेरिया फास 3. केल्लेरिया सल्फ 4. फेरम फास 5. केली म्यूर 6. केली फास 7. केली सल्फ 8. भेग फास 9. नेट्रम म्यूर 10. नेट्रम फास 11. नेट्रम सल्फ 12. साइलीसिया

स. होम्योपैथिक चिकित्सा के सिद्धांत संबंधी 1 से 70 एफोरिजमस्

होम्योपैथिक फार्मसी :-

1. परिचय तथा होम्योपैथिक फार्मसी की विशेषता।
2. होम्योपैथिक फार्मसी को मटेरिया मेडिका तथा राष्ट्रीय बचत से संबंध।
3. वनज नाम होम्योपैथिक दार्शनिक तथा सताशनिक प्रणाली माप।
4. होम्योपैथिक औषधि विज्ञान संबंधी (फार्मास्युटीकल) यंत्र और उपकरण।
5. होम्योपैथिक औषधियों के स्त्रीत औषधि द्रव्य एकत्र करने के तरीके, पहचान करना, शोधन करना, खराब होने से बचाव करना तथा शक्तिकृत औषधियों का रखरखाव करना।
6. औषधि वह वहीकल - उनको बनाना तथा प्रयोग, उनका परिशोधन, सरासार की प्रमाणित शक्ति का निर्धारण करना।
7. आर्गेनिक तथा इनार्गेनिक रसायनों, प्राणियों तथा प्राणी जन्य पदार्थों, रोग जन्य पदार्थों से औषधि निर्माण की विधियां।
8. मूल अर्क, घोल, शक्तिकरण तथा विचूर्ण बनाने की विधियां, उनका परिशोधन, सरासार की प्रमाणित शक्ति का निर्धारण करना।
9. शक्ति परिवर्तन (लाक्शन पोटेन्सी) विचूर्ण को तरल में रूपांतरण या परिवर्तन करना।
10. बाह्य प्रयोग की औषधि लोशन, लिनिमेंट, ग्लिसरोल, मल्हम या परिवर्तन करना।
11. उपचार पत्रक - इसका अध्ययन, सेंटिसिमल चिन्ह, प्रिस्कीपशन लिखने का महत्व तथा सिद्धांत व तरीका।
12. औषधियों का अध्ययन, औषधि शक्ति होम्योपैथी औषधियों के क्रिया का अध्ययन (फार्माकोडायनामिक्स) शक्ति, गति डायनामिक्स पावर औषधि की खुराक संबंधी ज्ञान तथा इससे चिकित्सा।
13. औषधि पदार्थ तथा औषधि वह (वहीकल) के मानक स्तर का संक्षिप्त अध्ययन।
14. सामान्य प्रयोगशाला विधिया, रासायनिक घोल, मिश्रण, तली में बैठना, छननापरिश्रुतिकरण, रवेदार बनाना, उन्नत शोधन करना (सब्लीमेशन), निधारना (परकोलेशन) इत्यादि का संक्षिप्त ज्ञान।
15. होम्योपैथिक फार्मसी में प्रयोग होने वाले यंत्र, उपकरण एवं सामग्रियों की पहचान, उपयोग और उन्हें साफ करने के तरीके।
16. कुछ होम्योपैथिक औषधि पदार्थों की पहचान - वनस्पति परिवार से, रासायनिक परिवार से।
17. होम्योपैथिक औषधियों को एकत्र कर हरबेरियम बनाना।
18. रोगी उपचार पत्रक पढ़कर औषधि वितरण करना तथा उसकी खुराक लेने का तरीका बिताना।
19. शक्तिकृत औषधि से उसका वितरण हेतु ग्लोब्युल्स बनाकर डिस्पेंसिंग काउंटर पर व्यवस्थित बताना।
20. तीन मूल अंकों से 3 शक्ति तक तैयार करना।
21. बाह्य प्रयोग हेतु लोशन लिनामेंट तैयार करना।
22. सवलीमेशन, डिस्टिलेशन, स्टेरलाजेशन, परकोलेशन आदि।
23. एक होम्योपैथी लेबोरेटरी का अध्ययन दौरा।

मातृ एवम् शिशु रोग परिचय एवं उपचार :- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, स्कूल स्वास्थ्य मेला तथा स्वास्थ्य शिक्षा आदि। प्रसूति से संबंधी रोग परिचय एवं उपचार, बालरोग एवं उनका उपचार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्यायें, नगरीय एवं पिछड़े क्षेत्र अन्य स्वास्थ्य संबंध समस्यायें उनका प्रशासन तथा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंध. परिवार कल्याण के साथ ही रोग निवारण एवं प्रतिरोधक संबंधी औषधिया, गर्भ निरोधक, जनसंख्या नियंत्रक, स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित आर्थिक पहलू और वातावरण।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सांख्यिकी एवम् पंजियों का संधारण :- रोकथाम करने वाली औषधियां. स्वास्थ्य के लक्षण, रोगों और अरोग्य के कारणों के सामाजिक कारण रोगी से संबंधित सामाजिक समस्याओं, सामुदायिक रूप से फैलने वाले रोग जैसे प्लेग, चेक, डिप्थीरिया, कुष्ठ, क्षय, मलेरिया, कालीखासी, मीजल्स, चिकेनपाकत, पीलिया, यकृतशोथ, दृष्टिरोग, आनज्यर, पेचित आदि का संक्षिप्त वर्णन और उनके रोकथाम के उपाय टीकाकरण, आदि. स्वास्थ्य संबंधी सांख्यिकी सिद्धांत का प्रारंभिक मौलिक ज्ञान, रिकार्ड कीपिंग।

आकस्मिक चिकित्सा एवं व्यक्तिगत एवं पब्लिक हाइजीन :-

1. फिजियोलोजिकल हाइजीन :- भोजन और पोष्टिक पदार्थ भोजन का स्वास्थ्य और रोग से संतुलित आधार पाष्टिक आहार की न्यूनतम और सर्वक्षण खाददय अपमिश्रण और उसकी जाँच दूध की परीकृत करना तथा आहार एवं निर्माण संबंधी जानकारी व विकृत भोजन से होने वाले फूड

पाइजनिंग, वायु प्रकाश, सूर्य का प्रकाश. मौसम का प्रभाव आदृता, ताप तथा अन्य मौसम विज्ञान संबंधी परिस्थितियां तथा आतामदायक क्षेत्र (कम्फर्टजोन) ज्यादा भीड़ के दुष्प्रभाव। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सफाई, आराम, नौद, कार्य, शारीरिक व्यायाम संबंधी शिक्षण का सामान्य व्याख्यान।

2. वतावरण जन्य स्वास्थ्य सफाई :- परिचय व महत्व. वतावरण प्रदूषण, बायु सुद्धीकरण, वायुजनित रोगों का संक्षिप्त परिचय। जल प्रदाय स्त्रीत और उपयोग, अशुद्धता और शुद्धीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक जल प्रदाय। पीने का पानी के मानक आदर्श जल जन्य रोग का संक्षिप्त परिचय। रुद्धिवादिता कन्सरवेसी ग्राम एवं नगर में प्रचालित शोचालय सेप्टिक टैंक आदि. नलियो जल तथा गंदगी निकाय की व्यवस्था करना। त्यौहार एवं मेलों में सफाई व्यवस्था. रोगाणु दूर करने वाली गंध निवारण, सडन व संक्रमण रोकने वाली या कीटाणुओं को मारने के तरीके, रोगाणु दूर करना तथा निष्कटन डिस अन्फक्सन या स्टरलाइजेशन. कीड़े-मकोड़े मारक औषधियो, रोगों से संबंधित कीड़े मकोड़े दूर करता, उनके नियंत्रण। परजीवी कीड़े अन्य रोग और परजीवियों से संबंधित संक्षिप्त विवरण.

(G) कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट (यूनानी) पाठ्यक्रम - यूनानी तिब का बुनियादी तारुफ

उमूरे तबिया :- इल्मे तिब की तारीफ, मोजुआ, गर्ज ओ गायत, तबियत की तारीफ व अहमियत. अरकान, मिजाज, अखलात, आजा, अरवाह, कुवा, अफजाल का मुख्तसिर बयान.

तशरीहुल बदन (एनाटमी) :- तारीफ, एनाटमिकल, पोजीशन, मुताल्लिका इस्ताहालत. स्केपुला, क्लैविकिल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीविया. नी ज्वाइन्ट, एल्बो जॉइंट, हिप जाइन्ट, शोल्डर जॉइंट. क्लिब्ड, कल्ब, रिया, कुल्लिया मेदा. निजामे आसाव का बुनियादी तारुफ.

मुनाफुल आजा (फिजीयोलोजी) :- खिलिया व नसीज का मुख्तसिर बयान, खून के अजजा व अफआल, कुरियाते हुमरा की साख्त व अफआल, खून का इन्जमाद. निजामे हजम - लुआबे दहन, रतूबते मेदा, रतुबते अमाआ, राबते सफराविया.

तहफफुजी व समाजी तिब (प्रोवैटिव एण्ड सोशल मेडिसन) :- वैक्सिनेशन (नेशनल इन्मयूनाईजेशन शिड्यूल), असबाबे सिता जरुरया, फेमिली प्लानिंग, डब्लूएचओ, यूनिसेफ, ऐंटीनेंटल केयर.

इल्मुल अमराज व सरौरयात (पैथोलोजी एण्ड क्लिनिकल मेडिसन) :- इल्मुल अमराज व सरौरयात का बुनियादी तारुफ, इन्फिलामेशन, नेकरोसिस, गैंगरीन.

समस्त उमूरे तबिया की तारीफ एवं अक्साम। स्केपुला, क्लैविकिल, हुमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीविया का हिमान्सटेशन। क्लिबद, कल्ब, रिया, कुल्लिया, मेदा का माडल व चार्टर्स द्वारा ज्ञान। निजामे हजम का माडल व चार्टर्स द्वारा ज्ञान. असबाबे सिता जरुरया.

इल्मुल अदविया व सैदला

कुल्लियाते अदविया :- इल्मुल अदविया का तारीफ व अक्साम, दवा, दवाओं के अक्साम, गिजा, दवा-ए-सम्मी, सम्मे मुतलक, अशकाले अदविया. इस्तिलाहात - अक्कात, जाली, जाजिब, हबिसुदम, रादेअ, मुजफफिफ, मुहल्लिल, मूलाय्यन, मुन्जिज, मुस्लिह, मुजलिक, मुफत्तिते हिसात, मूफर्रह, मुदम्मिल, दाफेअ ताफफुन, दाफेअ हुम्मा, दाफेअ तान्नुज, मुखदिदर, मुसक्किने अलम, मुनक्विम, काविज, कातिले दीदान, कासिरे रियाह, मुगल्लिज, मोअल्लिदे मनी, मुलज्जी मुमसिक, मुदिरे बोल व हैज.

मुफरदात :- आवरेशम, मुश्क, अम्बर, जुन्दवेदस्तर, खरातीन, कफे दरिया, मरवारीद। गन्धक, नौशादर मुरदार संग, सीमाव, सम्मुलकार, अबरक, हजरुल यहूद, संगे जराहत। अवहल, अतीस, इजखर, अजाराकी, अरुसा, असगन्ध, असरोल, आमला, अनार, असलउरसूस, बाबूना, बावची, बादयान, विहीदाना, बहमन सुर्ख, बहमन सफेद, जामुन, जदवार, चिरायता, खतमी, खुब्बाजी, जाफरान, जन्जवील, जीरा, शाहतरा, सन्दल सुर्ख, सन्दल सफेद, करनफल, आकिर करहा, मको, हलैला जर्द, हलेला कावली, हलेला सियाहा।

मुक्कबात :- इन्नीफल उस्तोखुदुस, जवारिश कमूनी, माजूने फलास्फा, खमीरा मरवारीद, शरबते वुजूरी, लउक सपिस्ता, हब्बे कविद नौशादरी, कुर्स तवाशीर, कुश्ता कलई, मरहम दाखिलयून, अर्क गुलाब, केरुती आरदे कुर्सना, शयाफे अवयज, जिमादे जालीनूस, तिला सुर्ख.

सैदला :- सैदला की तीरीफ व अहमियत. आमाले दवासाजी: देक, रज, तहमीस, तदहीन, तशविया, तरबीक, तजफीफ, तबलौर, तबखीर, तरसीव, एहराक, तकलीस, तकशीर, धनाव, तहबीब, इरगा, तसवील, मतबूख. अदविया से रोगन कशीद करना। अदनिया का मुदब्बिर करना, जीरा, अफयून, अन्जरुत, ऐलवा, भिलावा, अजाराकी, गन्धक, पारा, गारीकून, हलेला। दवाओं का तहफफुज, दवाओं की पैकिंग, फार्मसी के रिकार्ड का रख रखाव, दवाओं का वितरण।

(H) ऑडियो मेस्ट्रिस्ट का पाठ्यक्रम

Introduction to Speech and Language Pathology, Psychology Related to Speech and Hearing, Basic Acoustic and Electronics, Clinical Work (Speech Pathology), Introduction to Audiology, Clinical Work (Audiology), Introduction to Linguists, Basic Human Anatomy & Physiology.

Childhood Communication Disorders, Educational Audiology, Diagnostic Audiology, Amplification and Assistive Devices for Hearing, Articulation and Phonological Disorders, Otorhinolaryngology, Community Oriented Professional Particles in Speech-Language Pathology, Voice and Laryngectomy, Basic Statistics and Research Methods in Speech-Language Pathology and Audiology, Clinical Work (Speech Pathology), Clinical Work (Audiology)

Fluency and Its Disorders, Rehabilitative Audiology, Neuro-motor Speech Disorders, Noise Measurement and Hearing Conservation, Adult Neuro-communication Disorders, Clinical Work (Speech Pathology), Pediatric.

Speech-Language Development and Disorders, Voice and Laryngectomee, Fluency and its Disorders, Otolaryngology.

Collaborative, Group Discussion, Process Recordings, Nursing Care Study, Incidental Teachings, Problem Solving Methods, Research Projects

Projects are essential for the development and improving the skills of the aspirants. The group of 4-5 aspirants is formed into a small group and handed a particular project topic and asked to work on. The aspirants working together as a group complete the work in a given time and duration and help the weak member catch up

Emotional expressions with a voice in professional and nonprofessional users Metaphonological skills of children with hearing impairment using Cochlear implants, Studying familial incidence of hearing weakness by blood-related family members pedigree in children with congenital hearing loss. A comparative study of neonates before and after. Aminoglycoside antibiotics.

(I) **पाठ्यक्रम - O.T. TECHNICIAN / क्षारसूत्र टेक्निशियन**

1. Introduction to surgery and basic surgical procedures
2. Sterilization of equipment and O.T. (Aphasia, Antisepsis & Fumigation.) & O.T. hygiene.
3. Surgical infection in O.T. & prevention anti Microbial therapy.
4. Fluids & electrolytes & intra venous fluids & setting up of IV line & Eletransfuisa.
5. Shifting of O.T. patients (Pre & Post op.) Sp. trauma patients.
6. Various surgical instrument.
7. Maintenance & care of general & special surgical instruments & equipments.
8. Pre-Op requirements (case papers, Pt. identification, consent, pre-op instruments).
9. Positioning of patient for special surgical procedures.
10. Control of Hemorrhage & resusaration.
11. O.T. illumination.
12. Preparation of surgical field.
13. Assisting at operation & setting up of instrument trolley
 - (a) Gen. surgery. (b) Uri. Surgery. (c) Gastrointestinal surgery. (d) Neurosurgery. (e) Cardiovascular surgery.
 - (f) Orthopedic surgery. (g) E.N.T surgery. (h) Gynaological & Obstetric surgery.
14. Surgical sutures.
15. Collection of specimens
16. Dressing material & their application.
17. Waste disposal.

SYLLABUS

(J) **X-Ray Technician /Radiographer**

Anatomy and Physiology of Human Body

Introduction to the body as a whole. The cells, Tissues, Epithelium: Simple: Compound, Connective Tissues, Muscles, Cell regeneration, Membranes: mucous, serous, synovial Osteology (including whole skeleton, bones and joints) Development of bone (osteogenesis): cells involved Types and function of bone, Types of joints and various movement. **Axial Skeleton: Skull, Vertebral Column, Appendicular skeleton, Healing of bones.****The respiratory system: Organs, Functions, Pharynx Larynx – Functions, lungs:** lobes, lobules, pleura.

Radiographic, Photography

Photographic process, Photographic emulsions, Film materials in x-ray department. History, structure of an x-ray film, single sided films, types of films, Spectral sensitivity of film material, graininess of film material, speed and contrast of photographic material, **Sensitometry:** photographic density, characteristic curve features of the characteristic curve, **The storage of film materials and radiograph:** Storage of unprocessed films, storing of radiographs, **Intensifying screens and cassettes. Luminescence:** fluorescence and phosphorescence. Construction of an intensifying screen, The fluorescent materials. Types of intensifying screens. Intensification factor. The influence of KV, scattered radiation. Detail, sharpness and speed, size of the crystals, reciprocity failure, Cassette design, care of cassettes, mounting of intensifying screens, Care of intensifying screens, tests to check screen film contact and light leakage, **Film processing:** Development: The nature of development, manual, automatic. The PH scale, The constitution of developing solutions and properties of development chemicals, The development time, factors in the use of a developer. Developers in processing systems, **Film processing:** fixing and role of a fixing solution. Constitution of the fixing solutions and properties of the Constituents, Fixers used in automatic processors. Factors affecting the use of the fixer, Regeneration of fixing solution. Silver recovery and its various methods, Rinsing, washing and drying. Objects of rinsing and washing, methods employed. Methods of drying films, Preparation of solutions and making stock solution, **Processing equipment: , Dark room: , Systems for daylight film handling , The radiographic image ,** Unsharpness in the radiographic image. Various factors contributing towards unsharpness, The presentation of the Radiograph. Identification markers and orientation. Documentary preparation, **Viewing accessories,** Light images and their recording, **Fluorography: , Subtraction: ,** Common film faults due to manufacturing as well as due to chemical processing, Management of the quality of the Radiographic image.

ELEMENTARY RADIATION PHYSICS

Structure of matter and principles of machines, electricity and electromagnetism applied in radiological instruments. Physics principles in design and working of x-ray tube technology. Construction and working principles of transformers and autotransformers used in x-ray circuits. Measurement of voltage special KV meters. Measurement of tube current in milli and microamperes. Principles of thermionic emission and rectification in x-ray technology. High voltage D.C. circuits in imaging and therapy tube circuits. Electrical hazards and safety x-ray tube rating in imaging and therapy x-ray tubes and thermal safety. Introduction to intensity of radiation in general and its variation by distance. Introduction to eletroma-genetic spectrum, definition of wavelength and its quantum relationship with peak kilovoltage. Physical principles of radiation and optical field coverage and the factor affecting the field projected on patient during x-ray imaging and radiotherapy exponential and trigonometric functions used in radiological calculations.

Radiography Techniques

Skeletal system: Radiography techniques for x-ray of: (a) Upper limb with special reference to joint. (b) Lower limb which includes all the bones with special reference to joint. femur and metatarsals, etc. (c) Shoulder girdle and thorax. (d) Vertebral column with special techniques for cervical

spine, intervertebral joints and foramina. Limbo-sacral joint. (e) Pelvic girdle and hip region. (f) Respiratory system chest radiography for both the lungs, apical, lordotic and oblique views, techniques to decubitus AP and lateral views.

Anatomy and Physiology of Human Body :

Types of cells, tissues, bones and joints. Introduction to system and cavities of the body. Heart and Blood vessels, The Lymphatic System: The Digestive System., The Urinary System., The Reproductive System: Male & Female Reproductive system., The Endocrine System., The Organs of Sense:

RADIATION PHYSICS INCLUDING RADIATION PROTECTION

Atomic structure as applied to generation of x-rays and radioactivity spectrum of diagnostic imaging and therapy x-rays. Effects of variation of tube voltage, current, filtration, HT waveform and target material on x-ray production. Laws of radioactivity and decay schemes of different alpha, beta, gamma ray, negatron and positron emitters as used in medicine especially in radiotherapy. Artificial radionuclide generators employed in medicine in general and radiotherapy sources in particular. Interaction of radiation with matter attenuation absorption and scattering phenomena. Photoelectric absorption, Compton scattering, pair production and annihilation process, ionisation, effects of geometry of thickness of the absorber. Dependence on the nature and atomic number of the absorber and on radiation quality. Transmission of x-ray through body tissues. Linear energy transfer. Range of secondary electrons and electron build up. Relative amounts of scatter from homogeneous and heterogeneous beam during the passage through a patient. Physical requirements of beam defining devices e.g. cones, diaphragm, collimators etc. Units of radiation measurement specification of quality and half-value thickness (HVT) and its measurements, filters and filtration. Measurements of radiation and dosimetric procedures. Radiation detectors and their principles of working. Definitions of Bragg-peak, percentage depth dose, and peak scatter factor, tissue air-ratio, tissue maximum ratios scatter air ratio, isodose curves and radiation penumbra of different beams. Wedge filters, scattering foils. Physics properties of phantoms, phantom materials, bonus and bolus substitutes. Factors used for treatment dose calculation method. Physical aspects of electron and neutron beam therapy.

Radiation Protection:

Definition of radiation hazards maximum permissible dose and annual limit of intake (ALI), permissible dose levels on and around sealed source housing and installation principles of radiation protection and MPD's of different ICRP rules, stochastic and non-stochastic effects. Importance of 'ALARA' physical principles of design and planning of radiation installation. Safe work practice in tele therapy and Brach therapy. Shielding materials, radiation surveys and personnel monitoring devices film badges. TLD badges, pocket dosimeters.

BASIC RADIOGRAPHIC TECHNIQUES

Skull: Radiography of cranial bones, cranium, sella turcica, orbit, optic foramina, superior orbital fissure and inferior orbital fissure. **Facial Bones:**

Dental Radiography: **Abdomen:**, **Macro radiography:**, **Stereography:**, **Soft tissue techniques:** , **Operation theatre techniques:**

Radiography:- techniques including special procedures.

Ventriculography and encephalography, Myelography, Angiography

(K) पंचकर्म टेक्नीशियन / पंचकर्म सहायक पाठ्यक्रम

आयुर्वेद परिचय एवं शरीर

आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा, आयुर्वेद का प्रयोजन एवं अंश, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, पंचमहाभूत सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत ई. लघुत्रयी एवं बृहत्रयी का संक्षिप्त परिचय, लोक पुरुष साम्यवाद।

शरीर रचना - शरीर एवं शरीर की परिभाषा, शरीर ज्ञान का प्रयोजन, पड़ग शरीर, प्रत्यंग शरीर, अस्थि संधि सिस धमनी, योतस स्नायु, पेशी नाड़ी का सामान्य परिचयात्मक वर्णन, कोष्ठ कोष्ठांगों का सामान्य परिचयात्मक वर्णन विभिन्न संस्थानों के अवयवों का रचनात्मक वर्णन, मर्म शरीर।

शरीर क्रिया - दोषधातु एवं भल परिचय गुण एवं कर्मात्मक वर्णन, आहार पावन क्रिया, रक्त संवहन प्रक्रिया, मूत्र निर्माण, धातु निर्माण, मल निर्माण एवं निष्कासन ।

रोग निदान एवं चिकित्सा - व्याधि परिभाषा एवं वर्गीकरण, निदान पंचक परिचय षक्रियाकाल रोगमार्ग, वृद्धिक्षय लक्षण आम साम निराम विवेचन, व्याधिक्षमत्व एवं ओज, रोग एवं रोगी परीक्षा, उपद्रव एवं अरिष्ठ, काय एवं चिकित्सा की परिभाषा, चिकित्सा वर्गीकरण, चिकित्सा के मौलिक सिद्धांत, निम्नलिखित व्याधियों के निदान, सम्प्राप्ति लक्षण एवं चिकित्सा ज्वर, रक्तपित्त, प्रमेह, कुष्ठ, राजयक्षमा अतिसार, ग्रहणी, श्वास कास, हिक्का पाण्डू, कामला, वातव्याधि, आमवास वातरक्त, संधिवात, उरुस्तंभ, त्वकविकार।

पंचकर्म उपकल्पना विज्ञान :

भैषज्य कल्पना का आधारभूत सिद्धांत पंचविधिकषाय कल्पना का सामान्य ज्ञान चतुर्विध स्नेहों के गुणकर्म, स्नेह प्रविचारणार्थ, स्नेह पाक विधि जैसे महानारायण तेल, विषगर्भ तेल, चंदनबलालाक्षादि तैल, सैन्धवादि तैल, त्रिफला घृत, पंचतित्त घृत, पंचतित्तत गुन्गुत, ब्राह्मीभूत, अगुतैल, पदविन्दु तैत, जात्यादि तेल, दशमूलादि तैल आदि घृत एवं तैल का मूर्धन संस्कार

ष्टिकशाली स्वेद निर्माण, पत्रपिण्ड स्वेद निर्माण विधि, साल्वण स्वेद, विभिन्न प्रकार के स्वेदों हेतु उपयोग द्रव्यों एवं उपकल्पनाओं का ज्ञान। चरकोक्त उपकल्पनीय एवं कल्प स्थान का सामान्य परिचय :

वामक एवं वमनोपण द्रव्यों के सामान्य परिचय संरक्षण विधि एवं काल आदि का ज्ञान, विभिन्न चमन कल्पों का निर्माण एवं उनके उपयोग की विधि, वमन क्रिया से संबंधित कल्पनाओं का उपयोग एवं सावधानियाँ वमन एवं विरेचन पूर्व आहार कल्पना। विरेचक एवं विरेचन कल्पनों के सामान्य परिचय संरक्षण विधि एवं काल आदि का ज्ञान, विभिन्न विरेचन कल्पों का निर्माण एवं उनके उपयोग की विधि, विरेचन क्रिया से संबंधित कल्पनाओं के उपयोग एवं सावधानियाँ।

आस्थापन (निरुह) अनुवासन हेतु उपयोग द्रव्यों का सामान्य परिचय :

आस्थापन वस्ति के घटक, मात्रा, संयोजन, विधि आदि विभिन्न आस्थापन बस्तियों की निर्माण विधि जैसे माधुतैलिक, पिच्छ वस्ति, कृमिहर बस्ति, युक्त स्य बस्ति, सिद्ध बस्ति, वाजीकरण बस्ति, रसायन बरित आदि स्नेह बरित के विभिन्न प्रकल्पों का ज्ञान। नस्यभेदानुसार प्रकल्पों का ज्ञान जैसे अवपीडन नस्य, मर्श, प्रतिमर्श, ध्यापन, धूम। शोधन, शमन एवं गृहण नस्य के प्रकल्पों का ज्ञान ।

संसर्जन क्रम हेतु उपयोग विभिन्न कल्पनाओं का ज्ञान यथा पेया विलेपी, अकृतयूष, कृतयूष, अकृत मांसरस, कृत मांसरस, कृशरा एवं पत्थ्य कल्पना आदि।

पंचकर्म विधि विज्ञान :

संशोधन एवं संशमन चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान, पंचकर्म का सामान्य परिचय, परिभाषा, प्रयोजन पंचकर्म के अयोग्य व्यक्ति, पंचकर्म कालाविधि का ज्ञान। अष्टमहादोषकरभाव, पूर्वकर्म यथा पाचन स्नेह स्वेदन तथा स्नेह स्वेद की विभिन्न प्रक्रियायें जैसे षष्टिकशाली स्वेद, तिलमाष पिण्ड स्वेद, नाड़ी स्वेद, सवांग स्वेद, अन्य स्वेदन विधियाँ जैसे अण्ड स्वेद, जम्बीर पिण्डस्वेद, शिरोधारा, शिरोबरित, कटि बस्ति, हृदबरित जानुवरित पत्र पिण्ड स्वेद सर्वांगधारा, अवाक आदि अक्षितर्पण, पुटपाक, बिडालक कर्णपूरण आदि का ज्ञान। स्नेहनस्वेदन का सामान्य परिचय भेद, मात्रा, योग्य अयोग्य, व्यापद् एवं चिकित्सा। प्रधानकर्म वमन, विरेचन, निरूह बस्ति, अनुवासन बस्ति नस्य, रक्तमोक्षण का सामान्य परिचय, परिभाषा, योग्य अयोग्य, सम्यक्, अति एवं अयोग्य का ज्ञान, विधि मात्राकालादि का निर्धारण, व्यापद् एवं चिकित्सा उस्तम, मध्यम एवं हीन शुद्धि निर्धारण का ज्ञान एवं संसर्जन क्रम।

(L) Refractonist & Optometrist Syllabus

Anatomy of eye, Physiology of eye - General consideration of different terms used in ophthalmology. Common diseases of eyelids. Common diseases of conjunctiva. Common diseases of sclera Common diseases of iris & ciliary body. Glaucoma Cataract. Orbit. Examination of eye. Special investigation of eye. Demonstrations – on above subjects. Visualacuity. amplitude of accommodation. Colour vision. Principle of Radioscopy. Static refraction. Errors of refraction. Myopia. Hypermetropia. Astigmatism. Apahna. Presbyopia. Anisometropia. Anisokomia. Physical optic. Properties of light. Principal of reflection. Principal of refractions. Lenses and their combinations. Len some try. Keratometry. Contact lenses. Indications. Types. Uses. Practice – Low vision aids.

(M) ड्रेसर/डार्करूम अटेंडेंट का पाठ्यक्रम

बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिसिक्स में 10+2 प्रणाली स्तर का पाठ्यक्रम

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ
चिपकाये

4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें,
(ii) अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों ea vfkok vaxst h ds y/kj glrk(kj ekl; ughagkax
A
(iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
(i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter
or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
- (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्वियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....

प्रति,

.....

.....

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

परीक्षा का नाम :- समूह-5 के अन्तर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती

परीक्षा- 2022

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. लिंग (पुरुष/महिला) :-
5. जन्मतिथि :-
6. आदिम जनजाति का नाम :-
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :-
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-
9. कार्यअनुभव का विवरण :-
10. विशेष/अन्य विवरण :-
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:-
12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:-
13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :-

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
फोटोग्राफ संलग्न
करे

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा ।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....
दिनांक :-

निवास का पता :-

.....

मोबाईल/दूरभाष नं. :-